सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट

2021-22

आज़ादी का अमृत महोत्सव

भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

वार्षिक रिपोर्ट
2021-22

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
भारत सरकार

वेबसाइट : **www.minorityaffairs.gov.in**

विषय सूची

क्र. सं.	अध्याय	पृष्ठ संख्या
	कार्यकारी सारांश	V-VIII
1	प्रस्तावना	1-4
2	प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK)	5-10
3	छात्रवृत्ति	11-13
4	मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	14
5	पढ़ो परदेश	15
6	नया सवेरा	16-17
7	नई उड़ान	18-19
8	मदरसों और अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए योजना (SPEMM)	20-21
9	अल्पसंख्यकों के लिए कौशल विकास पहल ''सीखो और कमाओ'' (LEARN & EARN)	22-23
10	उस्ताद (विकास के लिए परम्परागत कलाओं/शिल्पों में कौशल और प्रशिक्षण का उन्नयन)	24-27
11	नई मंजिल	28-30
12	नई रोशनी	31
13	जियो पारसी	32
14	हमारी धरोहर	33
15	हज प्रबंधन	34-37
16	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM)	38-39

क्र. सं.	अध्याय	पृष्ठ संख्या
17	भारत के आयुक्त भाषाजात अल्पसंख्यक	40-41
18	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (NMDFC)	42-46
19	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (NMDFC) की राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को सहायता–अनुदान की योजना	47
20	मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान	48-50
21	वक़्फ प्रशासन, केंद्रीय वक़्फ परिषद एवं राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम	51-58
22	दरगाह ख्वाज़ा साहेब, अजमेर	59-60
23	सूचना अधिकार अधिनियम, 2005	61
24	सरकारी लेखा–परीक्षा	62
25	स्वच्छ भारत मिशन	63-65
26	ई–आफिस का कार्यान्वयन	66
27	राजभाषा	67-69
28	नागरिक चार्टर और शिकायत निवारण तंत्र	70
अनुबंध		
अनुबंध – I :	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का 31.03.2021 के अनुसार पदधारिता विवरण	72
अनुबंध – II :	मंत्रालय का संगठन चार्ट	73
अनुबंध – III :	योजना–वार बजट अनुमान, संशोधित अनुमान, वास्तविक व्यय	74-75
अनुबंध – IV :	पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए योजना–वार बजट अनुमान	76
अनुबंध – V :	निजी संस्थानों/संगठनों/व्यक्तियों को स्वीकृत 10.00 लाख रुपए (अनावर्ती) से अधिक का सहायता अनुदान	77-86
अनुबंध – VI :	महत्वपूर्ण संक्षिप्त रूप और उनके पूर्ण रूप	87-88

कार्यकारी सारांश

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की स्थापना जनवरी, 2006 में की गई थी। इसे 6 (छः) अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों यथा जैन, पारसी, बौद्ध, सिक्ख, ईसाई और मुस्लिम जो भारत की आबादी का लगभग 20% हैं, के कल्याण और सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए नीतियां, योजनाएं और कार्यक्रम तैयार करने का अधिदेश दिया गया है। अक्तूबर, 2016 से मंत्रालय को हज यात्रा के प्रबंधन का भी अधिदेश दिया गया है।

- अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने शैक्षिक–सशक्तीकरण; अवसंरचना विकास; आर्थिक सशक्तीकरण; विशेष जरूरतों को पूरा करने; और अल्पसंख्यक संस्थानों के सुदृढ़ीकरण पर ध्यान केन्द्रित करते हुए अल्पसंख्यकों के विकास के लिए एक बहु–शाखी रणनीति अपनाई है।
- मंत्रालय की कल्याण और विकास योजनाएं अल्पसंख्यकों के गरीब और वंचित वर्गों पर केन्द्रित हैं। अधिकांश योजनाओं में पात्रता मानदंड आर्थिक आधार पर तैयार किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इनके लाभ गरीब और वंचित वर्गों तक पहुंचें।
- शैक्षिक योजनाएं सभी स्तरों पर छात्रवृत्तियों, अध्येतावृत्तियों और उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने तथा अच्छी गुणवत्ता की कोचिंग प्रदान करने के लिए सहायता देने को कवर करती हैं ताकि अल्पसंख्यक सरकारी और प्राइवेट नौकरियां प्राप्त कर सकें।
- मंत्रालय ने अपनी ''सीखो और कमाओ'' योजना का ''स्किल इंडिया मिशन'' और ''मेक इन इंडिया मिशन'' के अनुरूप सुदृढ़ीकरण और विस्तार किया है तथा पारंपरिक कलाओं/शिल्पों के संरक्षण के लिए ''उस्ताद'' और अल्पसंख्यकों के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए शिक्षा को कौशल से जोड़ने के लिए ''नई मंजिल'' नामक योजनाएं भी कार्यान्वित की हैं। ''नई रोशनी'' योजना अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए है।
- अन्य विशेष कार्यक्रम ''जियो पारसी'' पारसी समुदाय की घटती आबादी को रोकने के संबंध में है और योजना की सहायता से अब तक 346 बच्चे पैदा हुए हैं। भारतीय संस्कृति की समग्र संकल्पना के अधीन अल्पसंख्यकों की समृद्ध विरासत और संस्कृति के संरक्षण के लिए ''हमारी धरोहर'' योजना है।
- डिजीटल इंडिया अभियान से तालमेल करते हुए छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्ति/ब्याज सहायता मंत्रालय की संबंधित योजना में लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे अदा की जा रही है। मंत्रालय की शेष योजनाओं के लिए पीएफएमएस एकीकरण के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण भी किया जा रहा है। हज आवेदन प्रक्रिया 100% ऑनलाइन की गई है। मंत्रालय ने पूरा काम ई–आफिस मोड में करना शुरू कर दिया है।
- मंत्रालय ने प्रिंट एवं बाह्य प्रचार माध्यमों के जरिए प्रचार हेतु विभिन्न मीडिया अभियान चलाए हैं। अभियानों में मंत्रालय की विभिन्न चल रही योजनाओं के संबंध में विभिन्न क्षेत्रीय के साथ–साथ

राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रिंट विज्ञापन शामिल हैं। हुनर हाट आयोजनों के साथ–साथ मंत्रालय की पहलों को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से बाह्य प्रचार अभियान भी चलाए गए। 'हुनर हाट' के लिए (i) मार्च–अप्रैल, 2021 में गोवा (ii) नवम्बर, 2021 में लखनऊ, उत्तर प्रदेश (iii) नवम्बर, 2021 में आईआईटीएफ, नई दिल्ली और (iv) दिसंबर, 2021 में जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में बाह्य प्रचार किया गया है।

- मंत्रालय ने 2–31 अक्तूबर, 2021 तक स्वच्छता अभियान पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। स्वच्छता अभियान 25 अक्तूबर, 2021 को सीजीओ परिसर और पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन के आस–पास चलाया गया। एक विशेष स्वच्छता अभियान के रूप में एक दिन अर्थात् 27.10.2021 को रद्दी के निपटान के लिए समर्पित किया गया।
- मंत्रालय ने 16–31 दिसम्बर, 2021 तक स्वच्छता पखवाड़ा आयोजित किया। 16 दिसम्बर, 2021 से शुरू करते हुए स्वच्छता पखवाड़ा मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति में पं दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ परिसर में मनाया गया। कोविड–19 महामारी के प्रसार के खतरे के कारण स्वच्छता की गतिविधियां पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन और उसके आस–पास कार्यालय परिसरों तक सीमित रखी गई। 20.12.2021 (सोमवार) को स्वच्छता गतिविधि की गई।

मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अधीन प्रमुख उपलब्धियां हैं

- **प्रधानमंत्री जन विकास कार्यकम**

मंत्रालय की केंद्रीय प्रायोजित योजना, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, अभिज्ञात अल्पसंख्यक क्षेत्रों में, विशेषकर शिक्षा, स्वास्थ्य कौशल विकास, महिला सशक्तीकरण आदि के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा प्रदान करती है ताकि उक्त क्षेत्रों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके।

31.12.2021 तक चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, 864.36 करोड़ रु. के केंद्रीय शेयर के साथ 1227.97 करोड़ रु. की परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं। इसके अतिरिक्त, 763.05 करोड़ रु. केंद्रीय शेयर की किस्तों के रूप में 31.12.2021 तक जारी किए गए हैं जिसमें नई परियोजनाओं के लिए जारी निधि और बाद में मंजूर परियोजनाओं के लिए किस्तें शामिल हैं।

वर्ष के दौरान स्वीकृत प्रमुख परियोजनाओं में 03 आवासीय विद्यालय, 07 स्कूल भवन, 11 अतिरिक्त कक्षा कमरे, 03 स्मार्ट क्लासरूम, 10 छात्रावास, 02 महिला हॉस्टल, 27 आंगनवाड़ी केंद्र, 04 सामान्य सेवा केंद्र, 01 समुदाय हॉल, 04 स्कूलों में खेल के मैदान, 10 कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र, 01 सेमीनार हॉल, 03 सद्भाव मंडप, 36 स्वास्थ्य परियोजनाएं शामिल हैं।

36 स्वास्थ्य परियोजनाओं में परिवार स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन, आधुनिकीकृत स्वास्थ्य उप केंद्र भवन, पीएचएससी भवन, एचएससी पीएचसी, जिला अस्पताल, अस्पतालों में उन्नत चिकित्सा परिसर, आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक–चिकित्सा के लिए एकीकृत केंद्र, अस्पतालों में हृदय–रोग, तंत्रिका, गुरदे और यकृत (लीवर) के लिए विशेषज्ञ ब्लॉक, प्रसूति और बाल स्वास्थ्य यूनिटें, मल्टी

सूपर स्पेशियालिटी अस्पताल, सिद्ध एवं योग परामर्शन एवं प्रशिक्षण केंद्र, मेडिकल कॉलेज आदि शामिल हैं।

- **मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजना**

वर्ष 2020–21 के लिए 52.29 लाख छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए 1325.54 करोड़ रु. जारी किए गए हैं और वर्ष 2021–22 के लिए 202.82 करोड़ रु. (31.12.2021 तक) जारी किए गए है।

- **मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना**

वर्ष 2020–21 के लिए 6.63 लाख छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए 512.81 करोड़ रु. जारी किए गए हैं और वर्ष 2021–22 के लिए 31.82 करोड़ रु. (31.12.2021 तक) जारी किए गए है।

- **मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना**

वर्ष 2020–21 के लिए 1.20 लाख छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए 396.34 करोड़ रु. जारी किए गए हैं और वर्ष 2021–22 के लिए 34.26 करोड़ रु. (31.12.2021 तक) जारी किए गए है।

- **मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना**

वर्ष 2020–21 के दौरान, 607 आवेदकों (अनंतिम आंकड़ा) को नई अध्येतावृत्ति (नवीनीकरण अध्येतावृत्ति के अलावा) प्रदान की गई हैं और पात्र विद्वानों को अध्येतावृत्ति के संवितरण के लिए यूजीसी को 73.50 करोड़ रु. की राशि जारी की गई, जबकि वर्ष 2021–22 के दौरान, पात्र विद्वानों को एमएएनएफ अध्येतावृत्ति के संवितरण के लिए यूजीसी (आंकड़े 31.12.2021 के अनुसार) को 65.00 करोड़ रु. जारी किए गए हैं।

- **पढ़ो परदेश**

वर्ष 2020–21 के दौरान, योजना के अंतर्गत नए एवं नवीकरण अभ्यर्थियों के संबंध में ब्याज सब्सिडी की प्रतिपूर्ति के लिए केनरा बैंक को 20.20 करोड़ रु. जारी किए गए। चालू वर्ष अर्थात् 2021–22 में, नए + नवीनीकरण अभ्यर्थियों के संबंध में ब्याज सब्सिडी की प्रतिपूर्ति के लिए केनरा बैंक को 16.20 करोड़ रु. (31.12.2021 के अनुसार) जारी किए गए हैं।

- **नया सवेरा – निःशुल्क कोचिंग और संबद्ध योजना**

वित्त वर्ष 2021–22 के लिए, नया सवेरा योजना के तहत 5140 छात्रों का पैनल में शामिल कोचिंग संस्थानों/संगठनों को आवंटन किया गया है। चालू वर्ष के लिए योजना के लिए बजट आवंटन 79.00 करोड़ रु. है, जिसमें से 31.12.2021 तक, 18.22 करोड़ रु. विभिन्न कोचिंग संस्थानों/संगठनों को जारी किए गए हैं।

- **नई उड़ान**

वर्ष के दौरान, 31.12.2021 तक 904 अभ्यर्थियों को 4.78 करोड़ रु. की वित्तीय सहायता प्रदान की

गई है, जिन्होंने यूपीएससी, एसएससी और विभिन्न एसपीएससी द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा को उत्तीर्ण किया है।

- **मदरसों/अल्पसंख्यकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए योजना (SPEMM)**

इस योजना में दो उप योजनाएं नामतः मदरसों में गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने की योजना (SPEMM) और अल्पसंख्यक संस्थानों में अवसंरचना विकास (IDMI) शामिल हैं। यह योजना एक केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वित की जा रही है। यह योजना 01 अप्रैल, 2021 से शिक्षा मंत्रालय से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को हस्तांतरित की गई है।

- **सीखो और कमाओ**

देश भर में कोविड महामारी के प्रसार के कारण 2021–22 (31.12.2021 तक) परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (PIA) को लक्ष्यों का आबंटन नहीं किया गया है। लक्ष्य वर्ष 2019–20 और 2020–21 के लिए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की प्रक्रिया चल रही है। इसी अवधि के दौरान परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को पिछले वर्ष की किस्तों के लिए 208.11 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है।

- **विकास के लिए परम्परागत कलाओं/शिल्पों में कौशल और प्रशिक्षण का उन्नयन (उस्ताद)**

उस्ताद योजना अल्पसंख्यकों की पारंपरिक कलाओं/शिल्पों की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने के लिए कार्यान्वित की जाती है। हुनर हाट को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की उस्ताद योजना के एक घटक के रूप में कार्यान्वित किया जाता है। अब तक वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान (31.12.2021 तक आयोजित 07 हुनर हाट सहित) 35 हुनर हाटों का आयोजन किया गया है।

- **अल्पसंख्यक महिलाओं का नेतृत्व विकास (नई रोशनी)**

2021–22 (31.12.2021 तक) के दौरान, अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए 1.40 करोड़ रु. की धनराशि जारी की गई है।

- **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी)**

वर्ष 2021–22 के दौरान, एनएमडीएफसी ने अपनी वित्त–पोषण योजनाओं के तहत 31.12.2021 तक 0.83 लाख लाभार्थियों को 357.19 करोड़ रु. के ऋण दिए हैं।

- **जियो पारसी**

भारत में पारसियों की जनसंख्या में गिरावट के संबंध में केंद्रीय क्षेत्र की इस योजना के अधीन वर्ष 2021–22 के दौरान 31.12.2021 तक चिकित्सा सहायता, पक्ष–समर्थन और समुदाय के स्वास्थ्य घटक के लिए परजोर फाउंडेशन को 3.0 करोड़ रु. की निधियां जारी की गई।

1 अध्याय प्रस्तावना

1.1 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का गठन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में से 29 जनवरी, 2006 को किया गया था ताकि छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात् जैन, पारसी, बौद्ध, सिक्ख, ईसाई और मुस्लिम समुदायों से संबंधित मामलों पर और अधिक अभिकेन्द्रित दृष्टिकोण सुनिश्चित किया जा सके। जैन समुदाय को दिनांक 27 जनवरी, 2014 की अधिसूचना के तहत छठे अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में शामिल किया गया है। मंत्रालय का अधिदेश अल्पसंख्यक समुदायों के लाभ के लिए विनियामक एवं विकास कार्यक्रमों की समग्र नीति तैयार करना और योजना बनाना, समन्वयन, मूल्यांकन और समीक्षा करना है।

संकल्पना एवं मिशन

1.2 इस मंत्रालय की संकल्पना अल्पसंख्यक समुदायों को सशक्त बनाना तथा हमारे राष्ट्र के बहु–जातीय, बहु–सांस्कृतिक, बहु–भाषायी एवं बहु–धार्मिक स्वरूप के सुदृढ़ीकरण के लिए समर्थकारी वातावरण निर्मित करना है।

1.3 मंत्रालय का मिशन सकारात्मक कार्रवाई तथा समावेशी विकास के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदायों की सामाजिक–आर्थिक स्थितियों को बेहतर बनाना है ताकि प्रत्येक नागरिक को सशक्त राष्ट्र के निर्माण में सक्रिय रूप से भागीदारी करने का समान अवसर प्राप्त हो, अल्पसंख्यक समुदायों हेतु शिक्षा, रोजगार, आर्थिक क्रियाकलापों में समान हिस्सेदारी को सुग्राही बनाना तथा उनका उत्थान सुनिश्चित करना है।

1.4 श्री मुख़्तार अब्बास नक़वी ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के मंत्री का प्रभार संभाला हुआ है और श्री जॉन बर्ला ने अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री का प्रभार संभाला हुआ है। मंत्रालय के सचिव के कार्य में सहयोग प्रदान करने के लिए चार संयुक्त सचिव, एक संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार और एक उप महानिदेशक हैं। मंत्रालय की स्वीकृत नफरी 135 अधिकारियों/कर्मचारियों की है और इस समय 86 अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं। मंत्रालय का पदधारिता विवरण **अनुबंध–I** पर तथा संगठनात्मक चार्ट **अनुबंध–II** दिया गया है। मंत्रालय के अधिकांश बहु–प्रकृति के कार्य इसके द्वारा स्वयं किए जाते हैं; इसके अतिरिक्त, मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्यालयों/संगठनों द्वारा इसे सहायता प्रदान की जाती है।

कार्यों का आबंटन

1.5 भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियमावली, 1961 की दूसरी अनुसूची और उसके संशोधनों के अनुसार इस मंत्रालय को आबंटित किए गए विषय इस प्रकार हैं:–

(i) अल्पसंख्यक समुदायों के लिए विनियामक तथा विकास कार्यक्रमों पर समग्र नीति, योजना तैयार करना, समन्वय, मूल्यांकन तथा समीक्षा करना।

(ii) कानून और व्यवस्था से संबंधित मामलों को छोड़कर अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित सभी मामले।

(iii) केन्द्र सरकार के अन्य मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों के परामर्श से अल्पसंख्यकों के संरक्षण और उनकी सुरक्षा के लिए नीति की पहलें करना।

(iv) भाषायी अल्पसंख्यकों तथा आयुक्त भाषायी अल्पसंख्यक के कार्यालय से संबंधित मामले।

(v) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम से संबंधित मामले।

(vi) शरणार्थी सम्पत्ति अधिनियम, 1950 (1950 का 31), (अब निरस्त) के प्रशासन के अंतर्गत शरणार्थी वक्फ़ सम्पत्तियों से संबंधित कार्य।

(vii) एंग्लो–इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व।

(viii) विदेश मंत्रालय के परामर्श से 1955 के पंत–मिर्जा समझौते के अनुसार पाकिस्तान में गैर– मुस्लिम पूजा स्थलों और भारत में मुस्लिम पूजा स्थलों का संरक्षण और परिरक्षण करना।

(ix) विदेश मंत्रालय के परामर्श से पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित प्रश्न।

(x) विभाग में निपटाए जा रहे विषयों से संबंधित परोपकार और धर्मार्थ संस्थान धर्मार्थ एवं धार्मिक स्थायी निधियां।

(xi) मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान सहित अल्पसंख्यकों, अल्पसंख्यक संगठनों के सामाजिक–आर्थिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक स्थिति से संबंधित मामले।

(xii) वक्फ अधिनियम, 1995 (1995 का 43) और केन्द्रीय वक्फ परिषद।

(xiii) दरगाह ख़्वाजा साहेब अधिनियम, 1955 (1955 का 36)।

(xiv) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम सहित अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कार्यक्रमों और परियोजनाओं का वित्त पोषण।

(xv) अल्पसंख्यकों के लिए केन्द्रीय और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ–साथ निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर।

(xvi) अन्य संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और संरक्षण से संबंधित उपाय करना।

(xvii) धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों में सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग।

(xviii) न्यायमूर्ति सच्चर समिति से संबंधित सभी मामले।

(xix) अल्पसंख्यकों के लिए प्रधानमंत्री का नया 15–सूत्री कार्यक्रम।

(xx) हज समिति अधिनियम, 1959 (1959 का 51) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के संचालन सहित हज यात्रा का प्रबंधन।

(xxi) अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित कोई अन्य विषय।

राजभाषा का प्रयोग

1.6 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में और उसके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्यालयों में भारत सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय में अधिकारियों का सेट–अप है जो हिंदी के प्रगामी प्रयोग की निगरानी करता है।

वर्ष के दौरान सभी वांछित दस्तावेज द्विभाषी रूप में जारी किए गए और हिंदी में प्राप्त पत्रों का हिंदी में उत्तर दिया गया। इन दस्तावेजों के अलावा, स्थायी समिति के दस्तावेज, सरकारी पत्र, आरटीआई पत्र, विभिन्न समिति की रिपोर्ट आदि का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया गया।

मंत्रालय की सभी कल्याण–योजनाओं के दिशानिर्देश हिन्दी में भी उपलब्ध कराए गए हैं। राजभाषा अधिनियम और इसके उपबंधों का पूर्ण अनुपालन करने के लिए विभिन्न समुचित जांच–बिन्दु बनाए गए हैं।

वर्ष 2021 में हिंदी पखवाड़ा का आयोजन मंत्रालय में 14 सितंबर 2021 से 30 सितंबर 2021 तक किया गया और विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें अधिकारियों/कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सभी प्रतियोगिताओं को कोविड से संबंधित सामाजिक दूरी मानदंडों के अनुसार आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए कुछ अतिरिक्त प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं। पुरस्कार–विजेताओं को प्रमाण–पत्र और नकद–पुरस्कार से सम्मानित किया गया और अन्य भागीदारों को हिन्दी की किताबें प्रदान की गईं।

सतर्कता इकाई

1.7 श्री श्रीनिवास दंडा, संयुक्त सचिव ने मंत्रालय के अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के रूप में कार्य किया और मंत्रालय और केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के बीच एक कड़ी के रूप में भी काम किया। सीवीओ मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में अपने सामान्य कर्तव्यों के अलावा सतर्कता कार्य देखता है।

1.7.1 सीवीओ को निम्नलिखित जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं:

- मंत्रालय से संबंधित सतर्कता एवं अनुशासन संबंधी सभी मामले।
- प्राप्त शिकायतों की जांच और उन पर समुचित कार्रवाई।

- शिकायतों के संबंध में जांच/पूछताछ/निरीक्षण तथा अनुवर्ती कार्रवाई।
- केंद्रीय सतर्कता आयोग के साथ समन्वय करना।
- केंद्रीय सतर्कता आयोग से, जब कभी अपेक्षित हो, सलाह लेना।
- भ्रष्टाचार प्रवण संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान तथा इन पदों पर नियुक्त अधिकारियों का समय–समय पर स्थानांतरण करना और इस प्रकार निवारक सतर्कता को प्रोत्साहित करना।
- सरकार के कार्यकरण में सत्यनिष्ठा, कार्यक्षमता और पारदर्शिता में वृद्धि करना।

1.7.2 रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 37 अधिकारियों को सतर्कता क्लीयरेंस जारी किए गए।

1.7.3 सतर्कता अनुभाग द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयां:

- संवेदनशील स्वरूप के अभिज्ञात क्षेत्रों पर निगरानी रखना।
- मंत्रालय में पचारिक सतर्कता निरीक्षण कर सकता है।

बजट

1.8 वर्ष 2021–22 के लिए इस मंत्रालय को विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए संशोधित बजट आबंटन 4346.45 करोड़ रु. है। बजट अनुमान, संशोधित अनुमान 2021–22 और 31.12.2021 तक के वास्तविक व्यय को दर्शाने वाला विवरण **अनुबंध–III** में दिखाया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए योजना–वार बजट आवंटन **अनुबंध–IV** में दर्शाया गया है।

2 अध्याय

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके)

2.1 प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) जिसे पूर्व में बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) के रूप में जाना जाता था, नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय विकास एजेंडा के अंतर्गत अति महत्वपूर्ण योजना के रूप में पहचानी गई केंद्र प्रायोजित योजना है। पीएमजेवीके योजना अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में रह रहे लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सामाजिक–आर्थिक अवसंरचना और बुनियादी सुविधाएं विकसित करने और राष्ट्रीय औसत की तुलना में असंतुलनों को कम करने के उद्देश्य से कार्यान्वित की जा रही है।

2.2 अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों की पहचान (i) अल्पसंख्यक आबादी (मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी) की बहुलता अर्थात् 25% या अधिक के आधार पर की गई है और उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में जहां एक अल्पसंख्यक समुदाय बहु–संख्या में है, वहां राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में बहुसंख्या वाले अल्पसंख्यक समुदाय के अलावा अल्पसंख्यक समुदाय के 15% के न्यूनतम कट–ऑफ को अपनाया जाता है (ii) राष्ट्रीय औसत की तुलना में सामाजिक–आर्थिक (साक्षरता दर और कार्य सहभागिता दर) तथा मूलभूत सुविधा संकेतको (पक्की दीवारों वाले घरों का प्रतिशत, सुरक्षित पेयजल वाले घरों का प्रतिशत, बिजली वाले घरों का प्रतिशत, परिसर के भीतर शौचालय की सुविधा वाले घरों का प्रतिशत) के संदर्भ में पिछड़ेपन के आधार पर की जाती है। अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों (एमसीए) की पहचान के मापदंड 2011 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित हैं। योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाएं सामुदायिक संपत्ति हैं और कैचमेंट क्षेत्र में रहने वाले सभी लोग इस तरह की संपत्ति का उपयोग कर सकते हैं जैसे कि स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, आंगनवाड़ी केंद्र, कौशल केंद्र, खेल सुविधाएं आदि।

2.3 पीएमजेवीके के अंतर्गत प्रस्ताव राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में ब्लॉक/जिला/नगर स्तर पर तैयार किए जाते हैं। प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम पर राज्य स्तरीय समिति द्वारा संस्तुत परियोजनाएं अधिकार–प्राप्त समिति के विचार के लिए मंत्रालय को भेजी जाती हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अपने संसाधनों से परिसंपत्तियों के प्रचालन के लिए जिम्मेदार है।

2.4 पीएमजेवीके योजना के अधीन स्वीकृत परियोजनाओं की किस्मों में मुख्यतः एमसीए की आवश्यकता के अनुसार राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा यथा प्रस्तावित आवासीय स्कूल, नए स्कूल भवन, कॉलेज भवन, छात्रावास, अतिरिक्त कक्षा कमरे, प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर कक्ष, स्मार्ट क्लास, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पॉलिटेक्निक, कौशल प्रशिक्षण केंद्र, कामकाजी महिला हॉस्टल, अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाड़ी केंद्र, पेयजल आपूर्ति परियोजनाएं, सामान्य सेवा केंद्र, सद्भाव मंडप, स्वच्छता परियोजनाएं, बाजार शेड, हुनर हब, खेल सुविधाएं आदि हैं।

2.5 कार्यक्रम का विशेष बल

इस कार्यक्रम के अधीन संसाधनों का कम से कम 80% शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास के लिए आबंटित किया जाता है। संसाधनों का कम से कम 33–40% महिला केंद्रित परियोजनाओं के लिए आबंटित किया जाता है।

2.6 क्षेत्र कवरेज

पीएमजेवीके के अंतर्गत कवर किए गए क्षेत्र में 870 अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉक (एमसीबी) और 321 अल्पसंख्यक बहुल नगर (एमसीटी) 109 अल्पसंख्यक बहुल जिला मुख्यालय (एमसीडी मुख्यालय) के साथ शामिल हैं। इसके अलावा, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर अल्पसंख्यक बहुल गांवों के समूह (एमसीवी) की पहचान की जाती है। कुल मिलाकर पीएमजेवीके के तहत 1300 अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों की पहचान की गई है और ये एमसीए 32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 308 जिलों में फैले हुए हैं। एमसीए की सूची मंत्रालय की वेबसाइट www.minorityaffairs.gov.in पर उपलब्ध है।

2.7 वित्तपोषण का तरीका

चूंकि पीएमजेवीके एक केन्द्र प्रायोजित योजना है, अतः परियोजनाएं केंद्र और राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के बीच सभी राज्यों के लिए 60:40 के अनुपात में तथा पूर्वोत्तर राज्यों एवं पर्वतीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखण्ड) के लिए 90:10 के अनुपात में और जहां विधान सभा नहीं है, ऐसे संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100% निधि की हिस्सेदारी की व्यवस्था पर कार्यान्वित की जाती हैं। योजना के तहत केंद्रीय संगठनों से प्राप्त प्रस्तावों को 100% वित्तीय सहायता दी जाती है। केंद्र सरकार प्रत्येक 50% की दो किस्तों में निधियां जारी करती है। दूसरी तथा बाद की किस्त पूर्ववर्ती किस्त के उपयोग होने पर तथा राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अपना शेयर जारी किए जाने पर जारी की जाती है।

2.8 कार्यान्वयन एजेंसियां

कार्यक्रमों को लागू करना संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन/केंद्र सरकार के संगठनों का दायित्व है।

2.9 निर्माण के लिए भूमि

एमसीए में अवसंरचना के निर्माण के लिए भूमि, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा प्रदान की जाती है। तथापि, स्थानीय जरूरत के आधार पर, सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा संगठनों की भूमि, केंद्र सरकार की एजेंसियों की भूमि या वक्फ भूमि या संबंधित प्राधिकरण/बोर्ड द्वारा पेशकश की गई अन्य अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों, छोटे अल्पसंख्यक समुदायों की इसी प्रकार की भूमि पर प्रस्तावित परियोजनाओं पर भी विचार किया जाता है।

2.10 बजट आबंटन और व्यय (2014–15 से)

(करोड़ रु. में)

वर्ष	आबंटन (बीई)	आबंटन (आरई)	व्यय
2014-15	1250.00	770.94	768.20
2015-16	1251.64	1126.64	1120.34
2016-17	1125.00	1080.71	1082.78
2017-18	1200.00	1200.00	1195.75
2018-19	1320.00	1320.00	1153.64
2019-20	1470.00	1700.00	1698.29
2020-21	1600.00	971.38	1091.94
2021-22	1390	1199.55	*779.25

*31.12.2021 तक

2.11 मॉनीटरिंग प्रणाली

पीएमजेवीके के अंतर्गत परियोजनाओं की मॉनीटरिंग हेतु एक सुदृढ़ तंत्र विद्यमान है। जिला स्तरीय समिति, ब्लॉक स्तरीय समिति तथा राज्य स्तरीय समिति के माध्यम से मॉनिटरिंग की सामान्य श्रृंखला के अलावा, यह मंत्रालय परियोजनाओं के निर्माण तथा कमीशनिंग की प्रगति की सतत रूप से समीक्षा करता है। ये समीक्षाएं अधिकार–प्राप्त समिति की बैठकों के दौरान राज्य प्राधिकारियों, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को लिखित पत्रों के माध्यम से, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ सम्मेलनों/बैठकों/विचार–विमर्शों के माध्यम से, मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा दौरों आदि के माध्यम से की जाती हैं। ऑनलाइन मॉनीटरिंग मॉड्यूल, जियो टैगिंग, डीआईएसएचए डैश बोर्ड को शामिल करके तथा मंत्रालय के स्तर पर संचालन समिति का गठन करते हुए मॉनीटरिंग प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाया गया है।

वर्ष 2021–22 के दौरान, 31.12.2021 तक, अधिकार प्राप्त समिति की 04 बैठकें सचिव (अ.का.) की अध्यक्षता में बुलाई गईं, जिसमें नए प्रस्तावों पर विचार करने के अलावा, स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की गई। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व या तो प्रशासनिक सचिव/प्रधान सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव या राज्य के समकक्ष अधिकारियों द्वारा किया गया।

2.12 2021–22 के दौरान प्रगति (31.12.2021 के अनुसार)

क) **वित्तीय प्रगति:** चालू वित्त वर्ष (31.12.2021 तक) के दौरान, मंत्रालय ने कुल 1227.97 करोड़ रु. की लागत वाली परियोजनाओं और 864.36 करोड़ रु. के केन्द्रीय हिस्से को मंजूरी दी है। चालू वित्त वर्ष में, केन्द्रीय शेयर की किस्तों के रूप में 779.25 करोड़ रु. (31.12.2021 तक) जारी किए गए हैं, जिसमें नई परियोजनाओं के लिए जारी धनराशि और पहले स्वीकृत परियोजनाओं के लिए बाद की किस्तें शामिल हैं।

ख) **वास्तविक प्रगतिः** 2021–22 के दौरान स्वीकृत प्रमुख परियोजनाओं में 03 आवासीय विद्यालय जिनमें उत्तर सिक्किम के मांगान एमसीए में, पश्चिम सिक्किम के सोरेंग एमसीए में और दक्षिण सिक्किम के नामची एमसीए में प्रत्येक 5232.00 लाख रु. की लागत से 03 आवासीय स्कूल, 07 स्कूल भवन, 11 अतिरिक्त कक्षा–कमरे, 03 स्मार्ट क्लासरूम, 10 छात्र छात्रावास, 02 महिला छात्रावास, 27 आंगनवाड़ी केंद्र, 04 सामान्य सेवा केंद्र, 36 स्वास्थ्य परियोजनाएं, जिनमें 8318.23 लाख रुपये की लागत से कोझिकोड के वटकारा एमसीए में सरकारी जिला अस्पताल का निर्माण, मल्लापुरम जिले के मल्लापुरम नगर पालिका में 972.60 लाख रुपये की लागत से तालुक अस्पताल के लिए अग्रिम चिकित्सा परिसर, मल्लापुरम जिले के मल्लापुरम नगर पालिका में 700.00 लाख रुपये की लागत से आयुर्वेद के लिए एकीकृत केंद्र, पश्चिम सिक्किम के सोरेंग एमसीए में 5620.00 लाख रुपये की लागत से 100 बिस्तरों वाला जिला अस्पताल, पूर्वी सिक्किम के गंगटोक एमसीए में 14897.10 लाख रु. में 300 बिस्तरों वाला जिला अस्पताल, सिंगतम, जिसमें वेल्लोर में सरकारी खाली भूमि पर 19781. 00 लाख में मल्टी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल भवन का निर्माण शामिल है 13635.07 लाख रू. में थूथुकुडी जिले के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉकों का निर्माण, 6235.49 लाख में कायलपट्टिनम (एम) में सरकारी अस्पताल में आउट पेशेंट ब्लॉक और विशेष वार्ड भवनों का निर्माण, 3852.76 लाख रु. में तिरुचेंदूर, थूथुकुडी जिले में सरकारी अस्पताल में मातृत्व और बाल स्वास्थ्य और दुर्घटना आपातकालीन देखभाल इकाई भवनों का निर्माण तिरुनेलवेली के तिरुनेलवेली एमसीए में उन्नत देखभाल के लिए 7210.00 लाख रु. में अस्पताल ब्लॉक का निर्माण, 01 समुदाय हॉल, 04 स्कूलों के खेल–कूद मैदान, 10 कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र, 01 सेमिनार हॉल और 03 सद्भाव मंडप आदि का निर्माण शामिल है।

2.13 2014–15 से प्रगति (31.12.2021 के अनुसार)

क) **वित्तीय प्रगतिः** 2014–15 से कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए 9559.67 करोड़ रु. का कुल बजटीय आवंटन उपलब्ध कराया गया था। इस आवंटन में से, मंत्रालय ने 17259.41 करोड़ रु. की कुल परियोजना लागत और 12103.14 करोड़ रु. की केंद्रीय हिस्सेदारी वाले राज्यों की योजनाओं/ परियोजनाओं के लिए अनुमोदन प्रदान किया। मंत्रालय द्वारा केंद्रीय शेयर की किस्तों के रूप में 8890.19 करोड़ रु. जारी किए गए हैं।

ख) **वास्तविक प्रगतिः** मंत्रालय ने 2014–15 से 49,000 से ज्यादा प्रमुख परियोजनाओं को मंजूरी दी है जिनमें 35 डिग्री कॉलेज, 177 आवासीय विद्यालय, 1572 स्कूल भवन, 23,473 अतिरिक्त कक्षा–कमरे/एसीआर ब्लॉक, 14,312 अध्ययन सामग्री एवं स्मार्ट क्लासरूम, 689 छात्रावास, 27 कामकाजी महिला हॉस्टल, 94 आईटीआई भवन, 15 पॉलिटेक्निक, 20 कौशल केंद्र, 2397 स्वास्थ्य परियोजनाएं, 01 यूनानी मेडिकल कॉलेज, 413 सद्भाव मंडप, 01 सद्भाव केंद्र, 168 सामान्य सेवा केंद्र, 553 मार्केट शेड, 12 हुनर हब, 6762 स्वच्छता/शौचालय परियोजनाएं, 84 खेल–कूल सुविधाएं आदि शामिल हैं।

महिला पॉलिटेक्निक, बहराइच

आईटीआई लखनऊ

सरकार मोरारजी देसाई बालिका आवासीय पीयू कॉलेज जिला बिदर

चुराचांदपुर में सद्भाव मंडप

3 अध्याय छात्रवृत्ति

3.1 यह मंत्रालय केन्द्रीय रूप से अधिसूचित छह अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों के शैक्षिक सशक्तीकरण के लिए निम्नलिखित तीन छात्रवृत्ति योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है:–

i. मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजना;

ii. मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना; और

iii. मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना।

इन छात्रवृत्ति योजनाओं के कार्यान्वयन में पारदर्शिता में सुधार लाने के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल का एक नया एवं नवीकृत रूपांतरण (एनएसपी–2.0) 2016–17 के दौरान आरंभ किया गया है। इस मंत्रालय की उपर्युक्त सभी छात्रवृत्ति योजनाएं इस पोर्टल के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं। छात्रवृत्तियां प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) तरीके से विद्यार्थियों के बैंक खाते में अंतरित की जाती हैं।

3.2 मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजना

अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजना 30 जनवरी, 2008 को अनुमोदित की गई थी। यह केन्द्र सरकार के 100% वित्त–पोषण वाली केन्द्रीय क्षेत्र की एक योजना है। भारत में किसी सरकारी/मान्यता–प्राप्त प्राइवेट स्कूल में कक्षा I से X में पढ़ने वाले छात्र जिन्होंने पिछली परीक्षा में 50% अंक प्राप्त किए हैं और जिनके माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 1.00 लाख रुपए से अधिक नहीं है, वे योजना के अंतर्गत मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने के पात्र हैं। इस योजना के अंतर्गत, नवीकरण के अलावा प्रत्येक वर्ष 30 लाख नई छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती है। 30% छात्रवृत्तियां बालिकाओं के लिए निर्धारित हैं। प्रत्येक चुने गए छात्र को 1000/– रु. से 10,700/– रु. तक की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

3.3 चौदहवें वित्त आयोग की शेष अवधि अर्थात् 2017–18 से 2019–20 की अवधि के दौरान लगभग 165.00 लाख नई और नवीकरण छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए 2,920.92 करोड़ रु. का परिव्यय प्रदान किया गया था। इस योजना को वित्त मंत्रालय द्वारा दी गई सलाह के अनुसार वर्ष 2020–21 के लिए समान शर्तों के आधार पर लागू किया गया था। तद्नुसार वर्ष 2020–21 के लिए 1325.54 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है और 52.29 लाख छात्रवृत्तियां प्रदान की गई हैं और वर्ष 2021–22 के दौरान अब तक 202.82 करोड़ रु. जारी किए गए गई हैं (31.12.2021 के अनुसार)।

3.4 मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत नवम्बर, 2007 में की गई थी। यह एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है। मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति भारत में आवासीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल/कॉलेज सहित किसी सरकारी/ मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक स्कूल/कॉलेज में अध्ययन के लिए प्रदान की जाती है। प्रत्येक चुने गए छात्र को 2300/– रु. से 15,000/– रु. तक की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

3.5 ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने पिछले वर्ष की अंतिम परीक्षा में 50% अंक प्राप्त किए हैं और जिनके माता–पिता/ अभिभावक की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक नहीं हैं, वे योजना के अधीन छात्रवृत्ति पाने के पात्र हैं। नवीकरण के अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष 5 लाख नई छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। 30% छात्रवृत्तियां बालिकाओं के लिए निर्धारित की गई हैं। यदि पर्याप्त संख्या में छात्राएं उपलब्ध न हों, तो ये छात्रवृत्तियां पात्र छात्रों को प्रदान कर दी जाती हैं।

3.6 चौदहवें वित्त आयोग की शेष अवधि अर्थात् 2017–18 से 2019–20 के लिए 1,279.08 करोड़ रु. का परिव्यय प्रदान किया गया है, जो लगभग 22.50 लाख नई और नवीकरण छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए है। इस योजना को वित्त मंत्रालय की सलाह के अनुसार वर्ष 2020–21 के लिए समान शर्तों के आधार पर लागू किया गया था। तदनुसार, 512.81 करोड़ रु. जारी किए गए हैं और वर्ष 2020–21 के लिए 6.63 लाख छात्रवृत्तियां प्रदान की गई हैं, और वर्ष 2021–22 के लिए 31.82 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। (31.12.2021 के अनुसार)।

3.7 मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना

मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है, जो वर्ष 2007 में शुरू की गई थी। ये छात्रवृत्तियां उपयुक्त प्राधिकरण से मान्यता–प्राप्त संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने के लिए प्रदान की जाती हैं। इस योजना के अंतर्गत, प्रत्येक वर्ष छात्रवृत्तियों के नवीकरण के अतिरिक्त 60,000 नई छात्रवृत्तियां प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है। इन छात्रवृत्तियों में से 30% छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए निर्धारित हैं जो पर्याप्त संख्या में पात्र छात्राएं उपलब्ध न होने पर पात्र छात्रों द्वारा उपयोग की जा सकती हैं।

3.8 इस योजना के तहत व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए सूचीबद्ध 85 प्रतिष्ठित प्रमुख संस्थानों में से किसी में भी प्रवेश प्राप्त पात्र छात्रों को पूरे पाठ्यक्रम शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है। अन्य संस्थानों में अध्ययन कर रहे छात्रों को 20,000/– रु. वार्षिक की दर से पाठ्यक्रम शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है और इसके अतिरिक्त दिवा छात्र को 5,000/– रु. और छात्रावासी छात्र को 10,000/– रु. प्रतिवर्ष की दर से अनुरक्षण भत्ता भी स्वीकार्य है।

3.9 जिन छात्रों ने किसी उपयुक्त प्राधिकरण से मान्यता–प्राप्त किसी भी तकनीकी अथवा व्यावसायिक संस्थान में प्रवेश लिया हुआ है, वे योजना के अधीन पात्र हैं। किसी प्रतियोगी परीक्षा के बिना प्रवेश प्राप्त छात्रों के मामले में, नई छात्रवृत्ति के लिए उच्चतर माध्यमिक/स्नातक स्तर पर पिछली अर्हक परीक्षा में कम से कम

50% अंक अर्जित किए होने चाहिएं। परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।

3.10 चौदहवें वित्त आयोग की शेष अवधि अर्थात् 2017–18 से 2019–20 के लिए 1,138.32 करोड़ रु. का परिव्यय प्रदान किया गया है, जो लगभग 4.20 लाख नई और नवीकरण छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए है। इस योजना को वित्त मंत्रालय की सलाह के अनुसार वर्ष 2020–21 के लिए समान शर्तों के आधार पर लागू किया गया था। तदनुसार, 396.34 करोड़ रु. जारी किए गए हैं और वर्ष 2020–21 के लिए 1.20 लाख छात्रवृत्तियां प्रदान की गई हैं और वर्ष 2021–22 के दौरान 34.26 करोड़ रु. जारी किए गए हैं (31.12.2021 के अनुसार)।

3.11 कोविड–19 महामारी के दौरान, वर्ष 2021–22 के लिए मंत्रालय ने अल्पसंख्यकों के लिए 03 छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत सभी नवीकरण आवेदकों के मामले में 50% अंक के मानदंड में छूट दी है। इसके अलावा, डीबीटी मिशन को भी सलाह दी गई कि मैट्रिक–पूर्व तथा मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं के नए आवेदकों के मामले में इस मानदंड में छूट दें।

4 अध्याय

मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

4.1 अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (एमएएनएफ) योजना की शुरुआत केन्द्रीय क्षेत्र की योजना (सीएसएस) के रूप में 11 अप्रैल, 2009 को की गई थी। यह योजना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। योजना के अंतर्गत 100% केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। योजना का उद्देश्य उच्चतर अध्ययन यथा एम.फिल और पीएच.डी. करने के लिए छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों को नवीकृत छात्रवृत्तियों के अलावा वित्तीय सहायता के रूप में अध्येतावृत्ति प्रदान करना है। इस अध्येतावृत्ति में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा मान्यता प्राप्त सभी विश्वविद्यालय/संस्थान आते हैं। इस अध्येतावृत्ति के अधीन अध्येतावृत्ति धारकों को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के स्कॉलर कहा जाता है।

4.2 सभी स्रोतों से माता–पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। अध्येतावृत्ति का 30% महिला अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित किया गया है। यदि महिला अभ्यर्थियों की कमी है, तो उसी अल्पसंख्यक समुदाय के पुरुष अभ्यर्थियों को अध्येतावृत्ति दी जा सकती है। यूजीसी नेट या संयुक्त सीएसआईआर–यूजीसी नेट परीक्षा की पूर्व मंजूरी अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति के लिए एम.फिल/पीएचडी के लिए एक पूर्वापेक्षा है। चयनित अभ्यर्थियों को अध्येतावृत्ति राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) मोड में वितरित की जाती है और सीधे लाभार्थी के खाते में जमा की जाती है।

4.3 14वें वित्त आयोग अर्थात 2017–18 से 2019–20 की शेष अवधि के लिए 494.40 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रदान किया गया था ताकि नवीकरण अध्येतावृत्तियों के अलावा लगभग 2,756 नई अध्येतावृत्तियां प्रदान कर सकें। इस योजना को वित्त मंत्रालय की सलाह के अनुसार वर्ष 2020–21 के लिए समान शर्तों के आधार पर लागू किया गया था। तदनुसार, यूजीसी को 73.50 करोड़ रुपये जारी किए गए थे और वर्ष 2020–21 के दौरान 607 अध्येतावृत्ति (अनंतिम डेटा) प्रदान की गई और 2020–21 के दौरान (31.12.2021 तक) 65.00 करोड़ रुपये जारी किए गए है।

5 अध्याय

पढ़ो परदेश

(अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों के लिए विदेश में अध्ययन हेतु शैक्षिक ऋणों पर ब्याज सहायता की योजना)

5.1 जिन छात्रों ने भारतीय बैंक संघ (आईबीए) की शैक्षिक ऋण योजना के अधीन किसी अनुसूचित बैंक से ऋण लिया है, उनके द्वारा ऋणस्थगन अवधि (अर्थात पाठ्यक्रम की अवधि, साथ में नौकरी मिलने के पश्चात एक वर्ष या छह माह, जो भी पहले हो) के लिए देय ब्याज, जैसा कि शैक्षिक ऋण योजना के अंतर्गत निर्धारित हैं, भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। ऋणस्थगन अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात, बकाया ऋण राशि पर ब्याज के साथ–साथ ऐसे ऋण के मूलधन का भुगतान छात्र द्वारा मौजूदा शैक्षिक ऋण योजना, जो समय– समय पर संशोधित की जा सकती है, के अनुसार किया जाएगा।

5.2 इस योजना का उद्देश्य छः अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित मेधावी छात्रों को विदेश में अध्ययन के लिए शैक्षिक ऋणों पर ब्याज सहायता प्रदान करना है। यह योजना विदेश में उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर प्रदान करती है और उनकी रोजगार क्षमता में वृद्धि करती है। यह केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है जिसके अधीन स्नातकोत्तर और एम.फिल/पीएच.डी स्तरों पर विदेश में अनुमोदित कोर्स करने के लिए छात्र द्वारा विदेश में अध्ययन हेतु लिए गए शैक्षिक ऋण पर ऋणस्थगन अवधि के लिए देय ब्याज पर ब्याज सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत ब्याज सहायता पात्र छात्रों को केवल एक बार या तो स्नातकोत्तर, एम.फिल या पीएच.डी स्तर पर ही उपलब्ध है। यह योजना अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और केनरा बैंक के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार नोडल बैंक अर्थात् केनरा बैंक के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।

5.3 नियोजित अभ्यर्थी अथवा बेरोजगार अभ्यर्थी के मामले में उनके माता–पिता/अभिभावक की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय 6.00 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। 35% सीटें छात्राओं के लिए निर्धारित की जाएंगी। छात्राएं उपलब्ध न होने पर सीटें छात्रों को हस्तांतरित की जा सकती हैं।

5.4 इस योजना को 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि से आगे 14वें वित्त आयोग की शेष अवधि अर्थात 2017–18 और 2019–20 में भी जारी रखने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है। इस योजना को वित्त मंत्रालय की सलाह के अनुसार वर्ष 2020–21 के लिए समान शर्तों के आधार पर लागू किया गया था।

5.5 वर्ष 2020–21 के दौरान, योजना के अधीन नए और नवीकरण अभ्यर्थियों के संबंध में ब्याज सहायता की प्रतिपूर्ति के लिए केनरा बैंक को 20.20 करोड़ रु. जारी किए गए हैं। चालू वर्ष अर्थात् 2021–22 (31.12.2021 तक) में नए और नवीकरण अभ्यर्थियों के संबंध में ब्याज सब्सिडी की प्रतिपूर्ति के लिए केनरा बैंक को 16.20 करोड़ रु. जारी किए गए हैं।

6
अध्याय

नया सवेरा

(अल्पसंख्यक छात्रों/अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना)

6.1 ''अल्पसंख्यक समुदायों'' के अभ्यर्थियों के लिए ''निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना'' इस मंत्रालय द्वारा दिनांक 17.7.2007 से शुरू की गई थी।

6.2 इस योजना का उद्देश्य तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए अर्हक परीक्षाओं और समूह 'क', 'ख' और 'ग' सेवाओं तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों, रेलवे आदि सहित केन्द्र एवं राज्य सरकारों के अधीन अन्य समकक्ष पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग के जरिए अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों/अभ्यर्थियों की सहायता करना है।

6.3 इस योजना को सितंबर, 2017 से संशोधित किया गया है और संशोधित योजना के अनुसार, अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के केवल वही छात्र/अभ्यर्थी योजना के अंतर्गत लाभ लेने हेतु पात्र होंगे जिनकी सभी स्रोतों से कुल पारिवारिक आय 6.00 लाख रु. प्रतिवर्ष से अधिक नहीं है। संगठनों/कार्यान्वयनकर्त्ता एजेंसियों के लिए यह आवश्यक है कि वे संबंधित छात्र/अभ्यर्थी से उनके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी किया गया आय प्रमाण–पत्र प्राप्त करें। कोचिंग के लिए स्वीकृत संख्या में से 30% स्थान छात्राओं/बालिका अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित किए गए हैं। पात्र महिला अभ्यर्थियों/छात्रों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न होने पर रिक्त कोटा मंत्रालय की पूर्व अनुमति/सूचना के साथ पुरूष छात्रों/अभ्यर्थियों द्वारा भरा जा सकता है।

6.4 निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना के अंतर्गत एक नया घटक विज्ञान विषयों (भौतिकी, रसायन, जीव–विज्ञान और/अथवा गणित) के साथ XI और XII कक्षाओं में अल्पसंख्यक छात्रों की अभिकेंद्रित तैयारी के लिए वर्ष 2013–14 से जोड़ा गया है। संशोधित योजना में जिन छात्रों ने विज्ञान विषयों के साथ XII कक्षा 75% अंकों के साथ पास की है, उनके लिए एक वर्ष का आवासीय कोचिंग कार्यक्रम भी जोड़ा गया है।

6.5 निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना के अधीन उन अल्पसंख्यक छात्रों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिए चुने गए कोचिंग संस्थानों/संगठनों को निधि प्रदान की जाती है जिनकी कुल वार्षिक पारिवारिक आय 6 लाख रु. से अधिक नहीं है। कोचिंग संस्थानों/संगठनों को देय कोचिंग फीस की दर और छात्रों को देय वजीफे की राशि नीचे दिए अनुसार है:–

कोचिंग की किस्म	प्रति अभ्यर्थी कोचिंग शुल्क	प्रति छात्र प्रतिमाह वजीफे की राशि	अवधि
सिविल सेवा परीक्षा की सम्मिश्रित तैयारी हेतु आवासीय कोचिंग कार्यक्रम	संस्थान द्वारा यथानिर्धारित, 1.00 लाख रु. की अधिकतम सीमा के अध्यधीन	कोई वजीफा नहीं दिया जाएगा। निःशुल्क आवास एवं भोजन सहित आवासीय कार्यक्रम	9 महीने
समूह 'क' सेवाएं	संस्थान द्वारा यथानिर्धारित, 50,000/– रु. की अधिकतम सीमा के अध्यधीन	2500/– रु. प्रतिमाह	6 महीने
तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा	संस्थान द्वारा यथानिर्धारित, 50,000/– रु. की अधिकतम सीमा के अध्यधीन	2500/– रु. प्रतिमाह	6 महीने
समूह 'ख' सेवाएं	संस्थान द्वारा यथानिर्धारित, 30,000/– रु. की अधिकतम सीमा के अध्यधीन	2500/– रु. प्रतिमाह	4 महीने
समूह 'ग' सेवाएं	संस्थान द्वारा यथानिर्धारित, 20,000/– रु. की अधिकतम सीमा के अध्यधीन	2500/– रु. प्रतिमाह	3 महीने
नया घटक – 1 (कक्षा XI और XII के विज्ञान विषयों के लिए दो वर्ष की अभिकेंद्रित कोचिंग)	संस्थान द्वारा यथानिर्धारित, 1.00 लाख रु. की अधिकतम सीमा के अध्यधीन	कोई वजीफा नहीं दिया जाएगा। निशुल्क आवास एवं भोजन सहित आवासीय कार्यक्रम	8–10 महीने (प्रत्येक अध्ययन वर्ष)
नया घटक – 2 (विज्ञान विषयों के साथ XII कक्षा पास छात्रों के लिए एक वर्ष की अभिकेंद्रित कोचिंग)	संस्थान द्वारा यथा निर्धारित 1.0 लाख रु. की अधिकतम सीमा के अध्ययधीन	कोई वजीफा नहीं दिया जाएगा। निशुल्क आवास एवं भोजन सहित आवासीय कार्यक्रम	10 महीने

6.6 वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए नया सवेरा योजना के अधीन 37 पैनलबद्ध कोचिंग संस्थानों/ संगठनों को 5140 छात्र आबंटित किए गए है। 2021–22 के लिए बजट आवंटन 79.00 करोड़ रुपए है जिसमें से 31.12.2021 के अनुसार 18.22 करोड़ रुपए विभिन्न कोचिंग संस्थानों/संगठनों को जारी किए गए हैं।

6.7 निःशुल्क कोचिंग और संबद्ध योजना का मूल्यांकन भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा किया गया है और इस योजना को 2021–22 से संशोधित रूप में लागू किए जाने का प्रस्ताव है।

7 अध्याय नई उड़ान

7.1 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की नई उड़ान योजना अल्पसंख्यक छात्रों को बढ़ावा देने के लिए है जो संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी), राज्य लोक सेवा आयोगों (एसपीएससी) आदि द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं और जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रु. से अधिक नहीं है।

7.2 इस योजना का उद्देश्य संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने वाले अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। वित्तीय सहायता अल्पसंख्यक समुदायों के अभ्यर्थियों को संघ तथा राज्य सरकारों की सिविल सेवाओं की परीक्षाओं में प्रतिस्पर्धा करने में पर्याप्त रूप से सक्षम बनाने तथा केन्द्र/राज्य सरकारों में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए है।

7.3 इस योजना को 2017–18 में कुछ संशोधनों के साथ अनुमोदित किया गया था और 2019–20 में इसे और संशोधित किया गया है। वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या अब 2000 से बढ़ाकर 5100 कर दी गई है और यूपीएससी, एसएससी और राज्य पीएससी द्वारा आयोजित अतिरिक्त परीक्षाओं को भी योजना में शामिल किया गया है। योजना का लाभ उठाने के लिए परिवार की आय सीमा भी 6 लाख रु. प्रति वर्ष से बढ़ाकर 8 लाख रु. प्रति वर्ष कर दी गई है।

7.4 किसी भी अभ्यर्थी द्वारा वित्तीय सहायता केवल एक बार ली जा सकती है। अभ्यर्थी केन्द्र या राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की इसी प्रकार की किसी अन्य योजना का लाभ लेने का पात्र नहीं होगा।

7.5 अभ्यर्थियों का चयन योजना के अधीन यथा निर्धारित परीक्षा–वार/समुदाय–वार संख्या पर आधारित है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवाओं की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर वित्तीय सहायता की दर एक लाख रुपए (1,00,000/– रु.); राज्य लोक सेवा आयोगों (राजपत्रित पद) द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर पचास हजार रुपए (50,000/– रु.) और कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा (संयुक्त स्नातक स्तर–सीजीएल) और सीएपीएफ समूह 'ख' परीक्षा और राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा अराजपत्रित पदों के लिए आयोजित प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर पच्चीस हजार रुपए (25,000/– रु.) है।

7.6 पात्र अभ्यर्थी इस योजना का लाभ लेने के लिए परिणाम घोषित होने की तारीख से एक महीने के भीतर www.naiudaan-moma.gov.in पर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वित्तीय सहायता सीधे लाभार्थियों के खाते में जमा कर दी जाती है।

7.7 वित्तीय वर्ष 2021–22 (31.12.2021 के अनुसार) के दौरान उन 904 अभ्यर्थियों को 4.78 करोड़ रु. की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है जिन्होंने यूपीएससी, एसएससी और विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों की प्रारंभिक परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली है।

7.8 नई उड़ान योजना एनआईसी के सर्विस प्लस इंटिग्रेटेड पोर्टल पर ऑनबोर्ड की गई है। नई उड़ान योजना एंड्रॉइड और आईओएस के लिए एकीकृत उमंग प्लेटफार्म–मोबाइल ऐप्प पर भी उपलब्ध है।

8 अध्याय

मदरसों और अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए योजना (एसपीईएमएम)

8.1 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय मदरसों/अल्पसंख्यकों (SPEMM) को शिक्षा प्रदान करने के लिए एक केंद्र प्रायोजित अम्ब्रेला योजना लागू कर रहा है जिसमें 01.04.2021 से प्रभावी 2 उप योजनाएं शामिल हैं, अर्थात् मदरसों में गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के लिए योजना (SPQEM) और अल्पसंख्यक संस्थानों में बुनियादी ढांचा विकास (IDMI)। यह योजना राष्ट्रीय स्तर पर क्रियान्वित की जा रही है। दोनों योजनाएं स्वैच्छिक प्रकृति की हैं। अब तक इस योजना के तहत 16 राज्यों अर्थात् बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मिजोरम ने लाभ उठाया है। यह योजना 1 अप्रैल, 2021 से शिक्षा मंत्रालय से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को स्थानांतरित कर दी गई है।

8.2 मदरसों में गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के लिए योजना (SPQEM) के तहत किसी भी राज्य या केंद्रीय बोर्ड से संबद्ध मान्यता प्राप्त मदरसों को अपने पाठ्यक्रम में विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी और अंग्रेजी जैसे आधुनिक विषयों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु फंड प्रदान किया जाता है ताकि इन संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चों को शैक्षणिक दक्षता हासिल हो सके। मदरसों में गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के लिए योजना के तहत मदरसा शिक्षकों के मानदेय और अन्य गुणवत्ता घटकों जैसे पुस्तकालय, गुणवत्ता सहायता, स्मार्ट क्लास और कंप्यूटर लैब आदि के लिए भुगतान, प्राथमिक और माध्यमिक दोनों स्तरों पर मदरसा शिक्षकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण और राज्य मदरसा बोर्डों को मजबूत करने के लिए भी निधि प्रदान की जाती है।

8.3 अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों को औपचारिक शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार करने के लिए अल्पसंख्यक संस्थानों (प्राथमिक/माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों) में स्कूल के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और मजबूत करने के लिए अल्पसंख्यकों की शिक्षा की सुविधा के लिए IDMI निधि प्रदान की जाती है।

8.4 योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार दोनों योजनाओं के तहत सभी प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं जिन पर सचिव (अल्पसंख्यक कार्य) की अध्यक्षता में एक परियोजना अनुमोदन बोर्ड (PAB) द्वारा विचार और अनुमोदन किया जाता है। वित्त वर्ष 2021–22 के लिए, आठ राज्यों अर्थात् बिहार, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने मदरसों में गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के लिए योजना के तहत अपने प्रस्ताव भेजे हैं, जबकि 4 राज्यों अर्थात् यूपी, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम ने वित्तीय सहायता के लिए बुनियादी ढांचा विकास (IDMI) के तहत प्रस्ताव भेजे हैं।

8.5 मदरसों में गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के लिए योजना (SPQEM) के तहत प्रस्तावों पर विचार और अनुमोदन के लिए परियोजना अनुमोदन बोर्ड (PAB) की बैठक 31–11–2021 को सचिव (अल्पसंख्यक कार्य) की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। परियोजना अनुमोदन बोर्ड ने वर्ष 2021–22 के लिए मदरसों में गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के लिए योजना के तहत 8 राज्यों के प्रस्तावों को कुल 18063.50 लाख रुपये के केंद्रीय हिस्से के साथ 29553.49 लाख की कुल राशि अनुमोदित की है।

8.6 मदरसों के शिक्षकों के लिए निष्ठा (NISHTHA) पर दीक्षा (DIKSHA) प्रशिक्षण

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के कार्यान्वयन के एक भाग के रूप में और मदरसा स्कूलों के शिक्षकों की क्षमता निर्माण के लिए, NCERT के सहयोग से दीक्षा पोर्टल पर निष्ठा के माध्यम से मदरसा शिक्षकों और प्राचार्यों के प्रशिक्षण के लिए एक कार्यक्रम की परिकल्पना की गई है। यह प्रशिक्षण शुरूआत में कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों के लिए प्रारंभ किया जा रहा है। इसके लिए मदरसा विद्यालय के शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए पंजीकरण हेतु दीक्षा पोर्टल पर पृथक वेबपेज/प्रयोगकर्ता का सृजन किया गया है।

9 अध्याय

अल्पसंख्यकों के लिए कौशल विकास पहल "सीखो और कमाओ (LEARN & EARN)"

9.1 भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (एमओएमए) ने भारत में छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित युवाओं के लिए सीखो और कमाओ नाम से कौशल विकास योजना शुरू की। योजना का उद्देश्य 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान अल्पसंख्यकों की बेरोजगारी दर को कम करना है। यह योजना 14–35 वर्ष की आयु के युवाओं को लक्षित करती है और इसका उद्देश्य गुणवत्ता कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके उनकी रोजगार क्षमता में सुधार करना है।

9.2 पिछले पांच वर्षों में इस योजना के अंतर्गत किया गया व्यय निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	बजट अनुमान (रु. करोड़ में)	वास्तविक व्यय (रु. करोड़ में)
2017-18	250.00	199.80
2018-19	250.00	175.73
2019-20	250.00	175.52
2020-21	250.00	190.03
2021-22 (31 दिसंबर, 2021 तक)	276.00	221.68

9.3 योजना को पैनल में शामिल परियोजना कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों (पीआईए) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है जिनका चयन उचित प्रक्रिया द्वारा किया जाता है जिसमें ऐसे कारकों जैसे कि इसी तरह की परियोजनाओं की हैंडलिंग का अनुभव, प्रशिक्षण केन्द्रों की उपलब्धता, जो एनएसडीसी से मान्यता प्राप्त हों, जिनमें प्रशिक्षित शिक्षक हों तथा योजनाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए फीडबैक प्राप्त करने आदि को ध्यान में रखा जाता है।

9.4 योजना 2020–21 के परियोजना वर्ष में, 49 पीआईए को 26550 अल्पसंख्यक लाभार्थियों का लक्ष्य प्रदान किया गया है।

9.5 वैश्विक महामारी और इसके परिणामस्वरूप लॉकडाउन के कारण आई चुनौतियों के बावजूद, परियोजना प्रभाग (पीडी) 31 दिसंबर 2021 तक 208.11 करोड़ रु. का अनुदान जारी करने तथा 23,200 लाभार्थियों को प्रशिक्षित करने में सक्षम रहा है। ऐसा निरंतर मेंटरिंग, मॉनीटरिंग और फीडबैक के माध्यम से उपलब्ध स्टाफ का उपयोग करते हुए मानव संसाधन प्रबंधन के द्वारा संभव हुआ है।

9.6 पिछली प्रतिबद्ध देयताओं के बैकलॉग को कम करने के लिए, योजना के परियोजना प्रभाग ने अनुपालन बोझ और लेखा परीक्षा ट्रेल्स को कम करने के लिए अभिनव तरीके अपनाए।

9.7 राज्यों से निरीक्षण करने के लिए संपर्क किया गया और उन्हें योजना की प्रगति के बारे में भी बताया गया।

9.8 कुछ लंबे समय से लंबित प्रक्रियागत खामियों को दूर करने के लिए नीतिगत अनुमोदन मांगे गए थे।

9.9 पीआईए से सामने आने वाली चुनौतियों पर विचार–विमर्श किया गया और योजना प्रदानगी की दक्षता बढ़ाने की आवश्यकता को समझने के लिए इनपुट लिए गए।

9.10 एक मोबाइल ऐप विकसित किया गया है जहां योजना लाभार्थी प्रदान किए गए प्रशिक्षण और योजना के समग्र निष्पादन के साथ अपनी संतुष्टि के स्तर पर सीधे प्रतिक्रिया दे सकता है।

9.11 प्रबंधन विकास संस्थान, गुड़गांव द्वारा इस योजना का एक तृतीय–पक्ष मूल्यांकन किया गया था। निष्कर्षों में योजना की उपलब्धियों पर उत्साहजनक डेटा मिला है। सिफारिशों को ध्यान में रखा गया है और भविष्य की योजना के डिजाइन में चुनौतियों का समाधान करने के लिए कुछ संशोधन भी किए जा रहे हैं।

9.12 मंत्रालय और पीआईए के बीच लेन–देन की दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सीखो और कमाओ के ऑनलाइन पोर्टल यानी www.seekhoaurkamao-moma.gov.in को काफी नया रूप दिया गया है, अब सभी आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं जो हार्ड कॉपी और मानव इंटरफेस को कम करते हैं। पोर्टल पर अब पीआईए, प्रशिक्षुओं, प्रशिक्षकों, परियोजना के स्थान आदि के विवरण के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध है, जो इसे बड़े पैमाने पर सभी हितधारकों और जनता के लिए अधिक उपयोगी बनाता है।

9.13 पारदर्शिता बढ़ाने के लिए पीआईए, प्रशिक्षण केंद्रों, क्रियाकलाप के स्थानों, प्रशिक्षण केंद्र, प्रशिक्षण के क्षेत्र आदि के बारे में जानकारी पोर्टल पर सार्वजनिक की गई है।

10 अध्याय

उस्ताद (विकास के लिए परम्परागत कलाओं/शिल्पों में कौशल का उन्नयन और प्रशिक्षण)

10.1 ''उस्ताद (विकास के लिए परम्परागत कलाओं/शिल्पों में कौशल का उन्नयन और प्रशिक्षण)'' की औपचारिक शुरुआत 14 मई, 2015 को वाराणसी (उ.प्र.) में की गई।

10.2 इस योजना का उद्देश्य मास्टर शिल्पकारों और कारीगरों की क्षमता का निर्माण करना और पारंपरिक कौशलों का उन्नयन करना; अल्पसंख्यकों की अभिज्ञात परम्परागत कलाओं/शिल्पों का प्रलेखन करना; परम्परागत कौशलों के लिए मानक निर्धारित करना; मास्टर शिल्पकारों के माध्यम से अल्पसंख्यक युवाओं को विभिन्न अभिज्ञात परम्परागत कलाओं/शिल्पों में प्रशिक्षण देना; राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार लिंकेज विकसित करना; और लुप्त हो रही कलाओं/शिल्पों का संरक्षण करना है।

10.3 मंत्रालय ने भारतीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएफटी), राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी) और भारतीय पैकेजिंग संस्थान (आईआईपी) जैसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संस्थानों को नियोजित किया है ताकि डिजाइन क्रियाकलाप; उत्पाद रेंज विकास; पैकेजिंग; प्रदर्शनियों, बिक्री बढ़ाने के लिए ई–मार्केटिंग पोर्टलों के साथ टाई–अप करना; और ब्रांड निर्माण के लिए विभिन्न शिल्प क्लस्टरों में काम किया जा सके।

10.4 2015–16 के लिए 17.01 करोड़ रु. के निर्धारित बजट में से 16.90 करोड़ रु. (99% से अधिक) उपयोग किए गए।

10.5 योजना के अधीन 2016–17 के दौरान, पारंपरिक शिल्पों में प्रशिक्षण के लिए 16,200 प्रशिक्षुओं के लक्ष्य के साथ 38 परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) को 2016–17 में 19.77 करोड़ रु. जारी किए गए थे। 2017–18 के दौरान, 21.80 करोड़ रु. का उपयोग किया गया।

10.6 वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान, 31.26 करोड़ रु. का उपयोग किया गया। 7560 प्रशिक्षुओं के लक्ष्य के साथ वर्ष 2018–19 के लिए उस्ताद योजना के अंतर्गत कुल 84 परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को पैनलबद्ध किया गया। वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान, 54.48 करोड़ रु. का उपयोग किया गया था।

10.7 वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान, 60.00 करोड़ रु. (बीई) के निर्धारित बजट में से, 56.74 करोड़ रु. का उपयोग किया गया है। इस वित्त वर्ष के दौरान 8772 प्रशिक्षुओं के लक्ष्य के साथ उस्ताद योजना के अंतर्गत 102 परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को पैनलबद्ध किया गया।

10.8 वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान, 47.00 करोड़ रुपये (बीई) के निर्धारित बजट में से 31.12.2021 तक 30.00 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया है।

10.9 इसके अलावा, हुनर हाट को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की उस्ताद योजना के एक घटक के रूप में लागू किया गया है। अब तक नवम्बर, 2016 से एनएमडीएफसी और एमएईएफ के माध्यम से निम्नलिखित स्थानों/शहरों में 35 हुनर हाटों का आयोजन किया गया है (वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान 31.12.2021 तक आयोजित 07 हुनर हाटों सहित)

क्र.सं.	हुनर हाट स्थल	तिथि
1	भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, दिल्ली	नवंबर, 2016
2	बाबा खड़क सिंह मार्ग, दिल्ली	फरवरी, 2017
3	पुडुचेरी	सितंबर, 2017
4	भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, दिल्ली	नवंबर, 2017
5	इस्लाम जिमखाना, मुंबई, महाराष्ट्र	जनवरी, 2018
6	बाबा खड़क सिंह मार्ग, दिल्ली	फरवरी, 2018
7	प्रयागराज, उत्तर प्रदेश	सितम्बर, 2018
8	पुडुचेरी	अक्टूबर, 2018
9	भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, दिल्ली	नवंबर, 2018
10	बीकेसी, मुंबई, महाराष्ट्र	दिसंबर, 2018
11	बाबा खड़क सिंह मार्ग, दिल्ली	जनवरी, 2019
12	जवाहर कला केंद्र, जयपुर	अगस्त–1 सितंबर 2019
13	प्रयागराज, उत्तर प्रदेश	नवंबर 2019
14	भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, दिल्ली	नवंबर 2019
15	अहमदाबाद, गुजरात	दिसंबर, 2019
16	मुंबई, महाराष्ट्र	दिसंबर, 2019
17	लखनऊ, उत्तर प्रदेश	जनवरी, 2020
18	हैदराबाद, तेलंगाना	जनवरी, 2019
19	इंदौर, मध्य प्रदेश	फरवरी, 2020
20	रांची, झारखंड	फरवरी–मार्च, 2020
21	इंडिया गेट, दिल्ली	मार्च 2020

क्र.सं.	हुनर हाट स्थल	तिथि
22	दिल्ली हाट पीतमपुरा, दिल्ली	नवंबर 2020
23	रामपुर, उत्तर प्रदेश	दिसंबर, 2020
24	लखनऊ, उत्तर प्रदेश	जनवरी–फरवरी 2021
25	मैसूरू, कर्नाटक	फरवरी 2021
26	जेएलएन दिल्ली	फरवरी – मार्च 2021
27	भोपाल, मध्य प्रदेश	मार्च 2021
28	गोवा	मार्च–अप्रैल 2021
29	रामपुर, उत्तर प्रदेश	अक्टूबर 2021
30	देहरादून, उत्तराखंड	अक्टूबर –नवंबर 2021
31	वृंदावन, उत्तर प्रदेश	नवंबर 2021
32	लखनऊ, उत्तर प्रदेश	नवंबर 2021
33	भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, दिल्ली	नवंबर 2021
34	सूरत, गुजरात	दिसंबर, 2021
35	जेएलएन स्टेडियम, नई दिल्ली	दिसंबर 2021–जनवरी, 2022

10.10 हुनर हाट की झलकियां

देहरादून

वृंदावन

जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली

लखनऊ

रामपुर

सूरत

भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, प्रगति मैदान, नई दिल्ली

11 अध्याय

नई मंजिल

11.1 नई मंजिल योजना का शुभारंभ 8 अगस्त, 2015 को किया गया था और यह पूर्णतः वर्ष 2016–17 में चालू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य ऐसे अल्पसंख्यक युवाओं को लाभान्वित करना है जिनके पास स्कूल छोड़ने का औपचारिक प्रमाण–पत्र नहीं है, अर्थात् जो स्कूल ड्रापआऊट्स की श्रेणी में आते हैं अथवा मदरसों इत्यादि जैसे सामुदायिक शिक्षा संस्थानों में पढ़े हैं। ऐसा उन्हें औपचारिक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके किया जाएगा ताकि वे बेहतर रोजगार, आजीविका प्राप्त करने और सम्मानित जीवन जीने के लिए समर्थ हो सकें।

11.2 यह योजना पात्र अल्पसंख्यक युवाओं को कक्षा 8वीं (ओबीई)/10वीं (माध्यमिक) का मुक्त विद्यालयी शिक्षा प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के लिए शिक्षा ब्रिज कार्यक्रम प्रदान करती है जिसके साथ मृदु कौशलों सहित उच्च गुणवत्ता कौशलों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। यह योजना स्थायी रोजगार प्राप्त करने में मदद के लिए जॉब प्लेसमेंट सहायता भी प्रदान करती है।

11.3 नई मंजिल योजना की विश्व बैंक के 50% के योगदान के साथ 5 वर्षों के लिए अनुमानित लागत 650 करोड़ रुपए है। नई मंजिल अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (भारत सरकार) के सहयोग से एवं अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए पहला विश्व बैंक सहायता–प्रदत्त कार्यक्रम है। इस योजना के आरंभ से योजना के अंतर्गत किए गए व्ययों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

वित्तीय वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक व्यय
2016-17	155.00	117.97
2017-18	175.95	93.73
2018-19	140.00	93.73
2019-20	140.00	34.44
2020-21	120.00	59.84
2021-22 (31 दिसंबर, 2021 तक)	**87**	**32.40**

11.4 यह योजना इसलिए भी उल्लेखनीय है क्योंकि यह लाभार्थियों की रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए स्कूल छोड़ने वालों के लिए कौशल के साथ शिक्षा को जोड़ती है। यह योजना 17–35 वर्ष की आयु के बीपीएल परिवारों के स्कूल छोड़ने वाले अल्पसंख्यक युवाओं को लक्षित करती है।

11.5 कवर किए जाने वाले अल्पसंख्यक लाभार्थी प्राथमिक तौर पर अल्पसंख्यक बहुल जिलों (एमसीडी) में से हैं। अंतर–समुदाय भाईचारे को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से गैर–अल्पसंख्यक जिले अथवा शहर की

अल्पसंख्यक आबादी की सघनता की कुछ विशिष्ट पॉकेट्स पर भी विचार किया जाता है। गैर–अल्पसंख्यक समुदायों के बीपीएल परिवारों से संबंधित 15% अभ्यर्थियों को भी कवर किया जाता हैं। योजना में पांच वर्षों में लगभग 100000 लाभार्थियों को लाभान्वित करने की परिकल्पना की गई है।

11.6 यह योजना दो चरणों अर्थात् चरण–I व चरण–II में कार्यान्वित की जा रही है। प्रथम चरण के दौरान यह योजना देशभर में 22 राज्यों में फैली 72 परियोजनाओं के माध्यम से 38 परियोजना कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों (पीआईए) द्वारा कार्यान्वित की गई। जबकि चरण–II में 73 परियोजनाएं स्वीकृत की गईं जो 9 से 12 महीने के लिए गैर–आवासीय एकीकृत शिक्षा एवं कौशल प्रशिक्षण प्रदान करती हैं जिनमें से कम से कम 3 महीने राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के अनुकूल कौशल प्रशिक्षण के लिए निर्धारित होते हैं। निर्धारित फ्रेमवर्क के अनुसार कौशल प्रशिक्षण पूरा होने के पश्चात, लाभार्थियों को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार प्रदान किये जाते है।

11.7 योजना के रोजमर्रा के कार्यों के प्रबंधन के लिए मंत्रालय में एक परियोजना प्रबंधन एकक (पीएमयू) स्थापित किया गया है जिसमें 8 तकनीकी विशेषज्ञ हैं। विश्व बैंक के अधीन स्थापित पीएमयू की सेवाओं को विश्व बैक के साथ वित्तीय समझौते की समाप्ति की तारीख से और तीन महीने की अवधि के लिए अर्थात 30 जून 2021 तक बढ़ा दिया गया था। मंत्रालय ने मैसर्स अर्न्स्ट एंड यंग एलएलपी की देखरेख में नई मंजिल योजना की लंबित गतिविधियों सहित मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के प्रबंधन के लिए एक नई परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) नियोजित की है।

11.8 99,980 लक्षित लाभार्थियों में से 69840 लाभार्थी चरण–I में 38 परियोजना कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित 72 परियोजनाओं के माध्यम से कवर किए गए। दूसरे चरण में शेष 30140 लाभार्थियों को 73 पीआईए द्वारा 73 परियोजनाओं के माध्यम से कवर किया गया। कुल 88 पीआईए 26 राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों को कवर करते हुए 145 परियोजनाओं के माध्यम से योजना को कार्यान्वित करती हैं।

11.9 इस योजना ने अभी तक 98697 लाभार्थियों को शैक्षिक घटक (चरण I और II) से जोड़ा है। 93485 लाभार्थियों को कौशल प्रमाण–पत्र प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा, कौशल घटक के अंतर्गत प्रमाणित लाभार्थियों में से 34340 को रोजगार प्रदान किए गए हैं। नई मंजिल के तहत एकीकृत शिक्षा और कौशल कार्यक्रम के लिए नामांकित लाभार्थी 78% मुस्लिम, 9% सिख, 6% ईसाई, और 7% अन्य धार्मिक समूह से संबंधित है। लाभार्थियों की जनसांख्यिकीय संरचना अनुसूचित जनजाति (एसटी) से 9%, अनुसूचित जाति (एससी) से 6%, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से 32% और सामान्य श्रेणी से 42% है।

11.10 पीआईए ने कार्यान्वयन में सुधार के लिए लाभार्थी से फीडबैक लेने के तरीके विकसित किए हैं। इसके अलावा प्लेसमेंट के पश्चात पीआईए निरन्तर आउटपुट के लिए रोजगार प्राप्त लाभार्थियों को व्यक्तिगत रूप से और फोन पर निरन्तर परामर्श देती रहती हैं।

नई मंजिल परियोजना की झलकियां

पूर्व छात्र और नई मंजिल के तहत बनाए गए उत्पाद

पूर्व छात्र समूह–I तस्वीर

नई मंजिल कार्यक्रम के तहत परियोजना कार्य

खेल आयोजनों में छात्राएं

छात्रों के साथ विश्व बैंक की बातचीत

कक्षा–दिल्ली (एम–वैश्विक)

12 अध्याय

नई रोशनी

(अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व–क्षमता विकास की योजना)

12.1 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समूहों से संबंधित आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए 2012–13 से नई रोशनी योजना लागू की है। यह योजना अब तक लगभग 5 लाख महिलाओं को नेतृत्व क्षमता प्रशिक्षण प्रदान कर चुकी है।

12.2 योजना का उद्देश्य सभी स्तरों पर सरकारी प्रणालियों, बैंको और अन्य संस्थानों के साथ पारस्परिक बातचीत हेतु ज्ञान, उपकरण और तकनीक प्रदान करते हुए अन्य समुदायों के पड़ोसियों सहित अल्पसंख्यक महिलाओं में सशक्तीकरण और विश्वास पैदा करना है। अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं का सशक्तीकरण और उन्हें अपने घर व समुदाय की सीमाओं को लांघकर और नेतृत्व की भूमिका में लाने के लिए प्रोत्साहन देना और सामूहिक या व्यक्तिगत रूप से सेवाओं, सुविधाओं, कौशल और अवसरों को प्राप्त करने के लिए अपना अधिकार जताना, अपने जीवन और रहने की स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार के विकास लाभों में अपने उचित हिस्से का दावा करना।

12.3 योजना के प्रशिक्षण मॉड्यूल के अंतर्गत जीवन कौशल, वित्तीय साक्षरता, पानी, साफ–सफाई, स्वच्छता, कानूनी अधिकार और हकदारियां, डिजिटल साक्षरता और व्यवहार परिवर्तन के लिए सामाजिक समर्थन आते है। पैनलबद्ध परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा आयोजित इस तरह के प्रशिक्षण में पूर्व अनुभव के साथ एक समग्र 6 दिनों के मॉड्यूलर प्रशिक्षण में इन्हें शामिल किया गया है।

12.4 इस योजना में ऑनलाइन प्रबंधन सूचना प्रणाली है जहां पीआईए अनुदान जारी करने के लिए आवश्यक दस्तावेज अपलोड करती हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रबंधन प्रणाली (OAMS) सरकार के निर्बाध और पेपरलेस शासन को बढ़ावा देने की आकांक्षा को साकार करने में मदद करती है।

12.5 यह योजना 27 राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है और पीआईए को 109.02 करोड़ रु. का वितरण किया गया है। पीआईए को आगे की किस्त के रूप में 1.40 करोड़ रुपये की धनराशि (31.12.2021 तक) जारी की गई है।

13
अध्याय

जियो पारसी
(भारत में पारसियों की जनसंख्या में हो रही गिरावट को रोकने हेतु योजना)

13.1 पारसी समुदाय की जनसंख्या में हो रही गिरावट को रोकने के लिए 2013–14 के दौरान 'जियो पारसी' नामक केंद्रीय क्षेत्र की योजना आरंभ की गई थी। इस योजना का उद्देश्य पारसियों की आबादी को स्थिर रखने के लिए वैज्ञानिक नवाचार और ढांचागत क्रियाकलापों को अपनाकर पारसी आबादी के गिरते रूझान को बदलना तथा भारत में उनकी जनसंख्या का संतुलन बनाए रखना है।

13.2 योजना के अंतर्गत तीन घटक है, पक्ष समर्थन, समुदाय का स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सहायता।

- योजना के चिकित्सा घटक के अंतर्गत, यह योजना पारसी विवाहित जोडों को मानक चिकित्सा प्रोटोकॉल के तहत चिकित्सा उपचार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- यह योजना वंश वृद्धि के लिए पारसी आबादी के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए पक्ष समर्थन/आउटरीच कार्यक्रम पर भी ध्यान केंद्रित करती है।
- घटक ''समुदाय का स्वास्थ्य'' बाल देखभाल सहायता/शिशुगृह सहायता और वृद्ध लोगों को सहायता व समर्थन पर केंद्रित है।

13.3 यह योजना बॉम्बे पारसी पंचायत (BPP) की मदद से पारजोर फाउंडेशन द्वारा संबंधित समुदाय के ऐसे संगठनों/सोसायटियों/अंजुमनों और पंचायतों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है जो कम से कम तीन वर्ष पुरानी हों।

13.4 योजना को प्रत्येक घटक के तहत दी जाने वाली बजटीय सहायता में वृद्धि कर 22.10.2021 से संशोधित किया गया है।

13.5 2021–22 से 2025–26 के दौरान योजना के कार्यान्वयन हेतु तीन घटकों के लिए 50 करोड़ रु. का कुल बजटीय प्रावधान किया गया है।

13.6 वर्ष 2021–22 के दौरान 31.12.2021 तक, 3.0 करोड़ रु. के कुल बजट आबंटन में से कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी को 3.00 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है।

13.7 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार, योजना की शुरुआत से जियो पारसी योजना की सहायता से 346 शिशुओं का जन्म हुआ है।

14 अध्याय

हमारी धरोहर

(भारतीय संस्कृति की समग्र संकल्पना के अधीन भारत के अल्पसंख्यक समुदायों की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने की योजना)

14.1 ''हमारी धरोहर'' जो कि केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, भारत के अल्पसंख्यक समुदायों की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने के लिए तैयार की गई है। योजना का उद्देश्य भारतीय संस्कृति की समग्र संकल्पना के अंतर्गत अल्पसंख्यकों की समृद्ध विरासत को क्यूरेट करना, प्रदर्शनियां आयोजित करना, साहित्य/दस्तावेजों आदि का संरक्षण, कैलीग्राफी आदि की सहायता एवं संवर्धन तथा अनुसंधान एवं विकास है।

14.2 योजना के अंतर्गत अब तक निम्नलिखित क्रियाकलाप किए गए हैं:–

- तीन प्रदर्शनियां– पारसी संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए 2015–16 के दौरान ''द एवरलास्टिंग फ्लेम'', ''थ्रेड्स ऑफ कंटीन्यूइटी'' और ''अक्रॉस द ओश्यन्स एंड फ्लोइंग सिल्क्स'' आयोजित की गई।
- 2015–16 के दौरान दैरातुल मारीफिल उस्मानिया, उस्मानिया विश्वविद्यालय द्वारा कार्यान्वित परियोजना; मध्यकालीन युग से संबंधित 240 दस्तावेजों के अरबी से अंग्रेजी में अनुवाद, उनके डिजीटीकरण और पुनर्मुद्रण।
- 2018–19 के दौरान मंत्रालय ने 2 अक्तूबर, 2018 से महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाने के उपलक्ष्य में 'गांधी–150 मुशायरा' विषय पर मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान (MAEF) के माध्यम से 'हमारी धरोहर' योजना के अंतर्गत दो मुशायरों (दिल्ली एवं मुम्बई में) का सफल आयोजन किया।
- मुम्बई में आयोजित 'हुनर हाट' के दौरान 'हमारी धरोहर' योजना के अंतर्गत 29.12.2018 को अन्नू कपूर फिल्म्स प्रा. लि. द्वारा सूफी संगीत कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था।
- इस योजना के अंतर्गत 2020–21 के दौरान श्री गुरु नानक देव जी के संपूर्ण जीवन और संदेश पर प्रकाश डालने वाली 2000 अनन्य फोटो पुस्तक का मुद्रण किया गया।
- हमारी धरोहर योजना के तहत आत्मनिर्भर भारत अभियान के अधीन प्रदर्शन के रूप में डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, नई दिल्ली में दिनांक 20.02.2021 को एक वर्चुअल मुशायरा/कवि सम्मेलन आयोजित किया गया था।
- उस्ताद इमामुद्दीन खान डागर इंडियन म्यूजिक, आर्ट एंड कल्चरल सोसाइटी द्वारा डागर अभिलेखागार और संग्रहालय, जयपुर के क्यूरेशन/दस्तावेजीकरण/संरक्षण/परिरक्षण और संवर्धन एवं उन्नयन कार्य के प्रस्ताव को भी इस योजना के अंतर्गत 2020–21 के दौरान मंजूरी दे दी गई है।
- भारत की आजादी के 75वें वर्ष के स्मरण के रूप में आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में दिनांक 28.08.2021 को डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, जनपथ, नई दिल्ली में एक मुशायरा/कवि सम्मेलन आयोजित किया गया था।

15 अध्याय

हज प्रबंधन

15.1 हज समिति अधिनियम, 2002 एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के संचालन सहित हज यात्रा के प्रबंधन से संबंधित कार्य 01 अक्तूबर, 2016 से विदेश मंत्रालय से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया है। तद्नुसार, हज संबंधी मामलों की देख–रेख करने हेतु मंत्रालय में संयुक्त सचिव (हज) की अध्यक्षता में एक पृथक प्रभाग स्थापित किया गया है। हज प्रभाग में कार्मिकों की क्षमता को पूरित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर 23 पद भी अनुमोदित किए गए हैं।

15.2 यह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारतीय हज समिति (HCoI) तथा भारत के प्रधान कौंसलावास (CGI), जेद्दा, सऊदी अरब राष्ट्र के साथ परामर्श से हज संबंधी कार्यों का प्रबंधन करता है। CGI, जेद्दा के हज संबंधी प्रस्तावों को आवश्यक अनुमोदन प्रदान करने, CGI, जेद्दा सऊदी अरब में अल्पकालिक प्रतिनियुक्ति पर प्रशासनिक एवं चिकित्सा/परा–चिकित्सा अधिकारियों का चयन करने, हज समूह आयोजकों (HGO) के पंजीकरण तथा भारतीय हज समिति और HGO को हज कोटे के आबंटन आदि सहित यह मंत्रालय भारतीय हज समिति, जो हज समिति अधिनियम, 2002 के अधीन स्थापित एक सांविधिक निकाय है, से संबंधित सभी मामलों की देख–रेख भी करता है।

15.3 हज यात्रा भारत और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय करार और उक्त करार के उपबंधों द्वारा शासित एवं विनियमित की जाती है। हज, भारत सरकार द्वारा भारत की सीमाओं के बाहर संचालित किया जाने वाला सबसे बड़ा क्रियाकलाप है। हज 2019 में, कुल 2,00,000 तीर्थयात्रियों का कोटा भारत को आबंटित किया गया था। यह HCoI और HGO के बीच 70:30 के अनुपात में वितरित किया गया था, अर्थात HCoI के लिए 1,40,000 तीर्थयात्रियों और HGO के लिए 60,000 तीर्थयात्रियों को वितरित किया गया था। बढ़े हुए कोटा के साथ, भारतीय हज यात्रियों का इंडोनेशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय समूह है। सऊदी अरब साम्राज्य ने, कोविड–19 महामारी के कारण, हज 2020 तथा 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय तीर्थयात्रियों को अनुमति नहीं दी। हालांकि भारत के प्रधान कौंसलावास (CGI), जेद्दा द्वारा सूचित किया गया कि दिनांक 17–24 जुलाई के दौरान सउदी अरब राज्य द्वारा हज, 2021 का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया जिसमें 58518 तीर्थयात्रियों ने भाग लिया जो पहले से ही राज्य में रहते थे। इसके अलावा यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक तीर्थयात्रियों को कोविड–19 से बचने के लिए पूरी तरह से टीका लगाया गया था। अधिकारियों ने मशेर में आवास के साथ–साथ यातायात प्रमुख क्षेत्रों तक पहुंच, भोजन तथा अन्य सेवाओं आदि की व्यवस्था करते समय कोविड–19 से बचने के लिए भी विशेष ध्यान दिया।

15.4 भारत सरकार हज यात्रा को उच्च प्राथमिकता देती है। हज यात्रा से जुड़े मुद्दों को दूर करने और तीर्थयात्रियों के लिए व्यवस्थाओं में सुधार करने के लिए सरकार का लगातार प्रयास रहा है। तीर्थयात्रियों

के लिए बेहतर सुख–सुविधाएं प्रदान करने के लिए कई नई पहल की गई हैं। इनमें हज कमेटी ऑफ इंडिया को हज एप्लिकेशन फॉर्म ऑनलाइन जमा करना और तीर्थयात्रियों को ई–भुगतान का विकल्प प्रदान करना, मक्का और मदीना में इमारतों में हज यात्रियों के लिए सुविधाओं में सुधार करना; अजीजिया में ठहराए गए हाजियों के लिए परिवहन व्यवस्था को मजबूत करना; हज यात्रियों के लिए चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करना; उड़ानों के समय पर आगमन और प्रस्थान के प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करके हाजियों के लिए हवाई यात्रा प्रबंधों को कारगर बनाना; शीघ्र और प्रभावी ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली; भारतीय तीर्थयात्रियों की जानकारी के लिए मोबाइल फोन एप्लिकेशन 'भारतीय हाजी सूचना प्रणाली' का उपयोग; समय पर सूचना प्रदान करने के लिए 24×7 हेल्पलाइन, टोल फ्री नंबर और व्हाट्सऐप और "SMS" का उपयोग; आदि शामिल हैं।

15.5 मंत्रालय द्वारा हज 2022 की तैयारी शुरू कर दी गई है। भारतीय हज यात्रियों के लिए हज 2022 की तैयारियों और व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा करने के लिए 22 अक्टूबर, 2021 को माननीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री की अध्यक्षता में हज समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। अंतर–मंत्रालयी हज समीक्षा बैठक में लिए गए निर्णयों के आधार पर, भारतीय हज समिति ने हज 2022 के लिए अनंतिम दिशा–निर्देश जारी किए हैं और भारतीय हज समिति के माध्यम से हज 2022 के लिए आवेदन की प्रक्रिया 01.11.2021 से शुरू हुई है।

15.6 पिछले तीन वर्षों के दौरान की गई नई पहलें

i. भारत का वार्षिक कोटा हज 2014 के लिए 1,36,000 तीर्थयात्रियों से बढ़ाकर हज 2019 के लिए 2,00,000 तीर्थयात्री कर दिया गया।

ii. हज 2018–22 के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया के तीर्थयात्रियों के लिए नई पंचवर्षीय नीति और हज 2019–23 के लिए हज समूह आयोजकों हेतु नीति तैयार और कार्यान्वित की गई है।

iii. सरकार ने हज 2018 से मुस्लिम महिलाओं को बिना मेहरम (पुरुष साथी) के हज यात्रा पर जाने की अनुमति दी है। हज 2018 के दौरान 1171 महिलाओं ने बिना मेहरम के हज पूरा किया, जो हज 2019 के दौरान बढ़कर 2229 हो गया।

iv. हज प्रक्रियाओं को कारगर बनाने के लिए, पारदर्शिता में सुधार और भारतीय तीर्थयात्रियों द्वारा तीर्थ यात्रा शुरू करने में आसानी के लिए, हज की प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बना दिया गया है। इसमें हज कमेटी ऑफ इंडिया, ई–वीजा, हज मोबाइल ऐप, तीर्थयात्रियों के बैगेज का डिजिटल प्री–टैगिंग, ई–मसीहा (भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए ई–चिकित्सा सहायता प्रणाली), हज यात्रियों के आयोजकों के विवरण और हज पैकेज के साथ पोर्टल (HGO) द्वारा ऑनलाइन आवेदन शामिल है। तीर्थयात्रियों, निजी हज समूह आयोजकों, हज कमेटी ऑफ इंडिया और हज प्रबंधन में शामिल अन्य हितधारकों ने इस डिजिटल सुधार से सभी को लाभान्वित किया है।

v. छोटे राज्यों की उनके हज कोटे को बढ़ाने की मांग मान ली गई है। उन राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को कोटे के आबंटन के लिए नई हज नीति में प्रावधान किया गया है जिन्हें 500 आवेदन प्राप्त होते हैं। जम्मू–कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के लिए भी विशेष कोटे की सीटे बढ़ाकर 2000 कर दी गई हैं।

vi. 70+ हज यात्री की आरक्षित श्रेणी को बनाए रखा गया है और उन्हें एक साथी ले जाने की अनुमति है।

vii. यह सुनिश्चित करने के लिए कि हज 2018 से हवाई यात्रा पर हज सब्सिडी हटाने के बाद भी हज यात्रियों पर वित्तीय बोझ में कम से कम वृद्धि हो, पिछले वर्ष के वास्तविक विमान किराया के आधार पर तीर्थयात्रियों को या तो अपने निर्दिष्ट आरोहण स्थल या निकटतम निर्दिष्ट किफायती आरोहण स्थल का विकल्प चुनने का अवसर दिया गया है।

viii. केरल के हज यात्रियों के लिए हज–2019 से कोझिकोड (कालीकट) को एक बार फिर से आरोहण स्थल के रूप में शुरू किया गया है। इसके अलावा विजयवाड़ा को भी आंध्र प्रदेश के तीर्थयात्रियों के लिए एक नया आरोहण स्थल घोषित किया गया है। हालांकि, कोविड–19 महामारी के कारण हज 2022 के लिए आरोहण स्थल 10 तक सीमित रखने का प्रस्ताव है।

ix. हज 2019 के दौरान हज समूह आयोजकों को 10,000 यात्रियों का अतिरिक्त कोटा आबंटित किया गया था। HGO द्वारा इन यात्रियों से HCoI की लागू दरों के अनुसार शुल्क लिया गया था।

x. हज 2019–23 के हज समूह आयोजकों के लिए नई नीति में सभी पात्र HGO को न्यूनतम सुनिश्चित हज कोटे के आबंटन की व्यवस्था की गई है।

xi. हज 2019 के लिए सऊदी अरब में बेहतर गुणवत्ता वाला आवास किराये पर लेने और इसी प्रकार परिवहन के लिए यात्रियों के अंतर–नगरीय और अजीजिया–हरम शरीफ आवागमन के लिए 2018 और उसके बाद के मॉडल की बसें किराए पर लेने की व्यवस्थाएं की गई थी।

xii. सऊदी अरब में भारतीय यात्रियों के कल्याण एवं प्रबंधन हेतु CGI, जेद्दा द्वारा स्थापित अस्थायी शाखा कार्यालयों एवं डिस्पेंसरियों की संख्या हज 2017 के 13 से बढ़ाकर हज 2019 में 16 तक कर दी गई है। मदीना में 3 शाखा कार्यालय और 3 डिस्पेंसरियाँ स्थापित की गईं। डिस्पेंसरियों के अलावा, मक्का में 03 अस्पताल एवं मदीना में 01 मुख्य डिस्पेंसरी, जिसमें अल्ट्रासाउंड, ईसीजी आदि डायग्नोस्टिक सुविधाएं भी हैं, तैयार किए गए। मोबाइल मेडिकल टीमें मक्का और मदीना में उच्च जोखिम समूह (HRG) यात्रियों के आवास–स्थान में प्रतिदिन जाकर उनसे मिलीं।

xiii. हज 2019 के लिए सऊदी अरब जाने से पहले भारत में अपने–अपने आरोहण स्थल पर यात्रियों को मोबाइल सिम कार्ड वितरित किए गए थे।

xiv. उन सभी यात्रियों को जिन्होंने अदाही (कुरबानी) का चयन किया था और उन सभी मख्तबों (मोआल्लिम का कार्यालय) के भारतीय हज समिति के यात्रियों को, जिन्हें हज 2019 के दौरान मेट्रो ट्रेन सुविधा मिली थी, अदाही कूपन और मेट्रो ट्रेन की टिकटें उनके आवास पर वितरित किए गए।

15.7 निर्णय जिनकी हज 2022 से लागू होने की उम्मीद है:

i. जम्मू–कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप, हज समिति अधिनियम – 2002 की अनुसूची में 'जम्मू–कश्मीर के स्थान पर जोन–1 में जम्मू–कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र' सम्मिलित करके संशोधन किया गया है।

ii. हज 2022 के लिए हजयात्रियों को यात्रा पर जाने के एक माह पहले अनुमोदित कोविड–19 वैक्सीन पूर्ण रूप से लगा होना चाहिए।

iii. सभी महिलाएं जिन्होंने मेहरम के बिना हज 2021 करने के लिए आवेदन किया था, उन्हें हज 2022 के लिए जाने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा, जो महिलाएं मेहरम के बिना हज 2022 करने के लिए नए आवेदन जमा करती हैं, उन्हें भी हज पर जाने की अनुमति दी जाएगी।

15.8 तथ्य और आंकड़ें : हज 2019*

भारत के तीर्थयात्रियों की संख्या	भारतीय हज समिति के तीर्थयात्रियों की कुल संख्या	140000
	HGO हज यात्रियों की कुल संख्या	60000
	HGO की संख्या	725
हज प्रबंधन हेतु CGI, जेद्दा में प्रतिनियुक्ति पर स्टाफ	समन्वयक	4
	सहायक हज अधिकारी	62 (3 महिलाएं)
	हज सहायक	203 (12 महिलाएं)
	डाक्टर	170 (37 महिलाएं)
	पराचिकित्सक	181
	कुल	620
भारत से उड़ान संचालन	आगमन चरण	508
	प्रस्थान चरण	507
भारत में आरोहण स्थल	प्रत्यक्ष–21	कुल–21
मक्का, सऊदी अरब में किराए पर लिए गए भवनों की संख्या	NCNTZ क्षेत्र में भवन	39 (15,772 यूनिट)
	अजीजिया में भवन	420 (1,21,909 यूनिट)
मदीना में आवास	मरकजिया मरकजिया के बाहर	60% 40%
भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए सऊदी अरब में अस्थायी शाखाएं और डिस्पेंसरियां स्थापित की गई	**मक्का**	**मदीना**
	शाखाएं – 16	शाखाएं – 3
	डिस्पेंसरी – 16	डिस्पेंसरी – 3
	अस्पताल – 40 बिस्तरों वाला • 30 बिस्तरों वाला • 10 बिस्तरों वाला	अस्पताल – 15 बिस्तरों वाली मुख्य डिस्पेंसरी
	जेद्दा हज ट्रमिनल	एक डिस्पेंसरी
भारतीय चिकित्सा मिशन, सीजीआई, जेद्दा द्वारा संचालित ओपीडी एवं मोबाईल चिकित्सा दल विजिट मामले	4,51,848	

*सऊदी अरब ने कोविड–19 महामारी के कारण हज 2020 तथा हज 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय हजयात्रियों को अनुमति नहीं दी।

16
अध्याय

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM)

16.1 भारत सरकार ने जनवरी, 1978 में, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए कार्यकारी आदेश के माध्यम से ''अल्पसंख्यक आयोग'' गठित किया था। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के अधिनियमन के साथ ही अल्पसंख्यक आयोग एक सांविधिक निकाय बन गया और इसे ''राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग'' का नाम दिया गया।

16.2 प्रथम सांविधिक आयोग का गठन 17 मई, 1993 को किया गया था। भारत सरकार ने 23 अक्तूबर, 1993 की अधिसूचना के माध्यम से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2 (ग) के तहत पांच धार्मिक समुदायों अर्थात मुस्लिमों, ईसाइयों, सिक्खों, बौद्धों तथा पारसियों को अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित किया था। भारत सरकार की दिनांक 27 जनवरी, 2014 की अधिसूचना द्वारा जैनों को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2 (ग) के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया है।

16.3 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 3(2) के अनुसार, आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और प्रतिष्ठित तथा योग्यता और सत्यनिष्ठा वाले व्यक्तियों में से केन्द्र सरकार द्वारा नामित पांच सदस्य होंगे। अध्यक्ष सहित पांच सदस्य अल्पसंख्यक समुदायों से हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 4(1) के अनुसार, अध्यक्ष सहित सभी सदस्य कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद पर बने रहेंगे।

16.4 आयोग के मुख्य कार्य अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए संविधान में उपबंधित और केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों द्वारा अधिनियमित विधियों में दिए गए रक्षोपायों के कार्यकरण को मॉनीटर करना और अल्पसंख्यकों को उनके अधिकारों से वंचित करने के संबंध में प्राप्त विशेष शिकायतों की जांच करना है। यह अल्पसंख्यकों के सामाजिक–आर्थिक और शैक्षिक विकास से संबंधित मुद्दों पर अध्ययन, अनुसंधान और विश्लेषण भी करवाता है और अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए रक्षोपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अनुशंसाएं भी करता है।

16.5 31.12.2021 के अनुसार वर्तमान में आयोग की संरचना निम्नानुसार है:

1.	श्री इकबाल सिंह लालपुरा	अध्यक्ष
2.	श्री आतिफ रशीद	उपाध्यक्ष (कार्यकारी)

3.	श्री केरसी कैखुशरू देबु	सदस्य
4.	सुश्री रिंचेन ल्हामो	सदस्य
5.	सुश्री सैयद शहजादी	सदस्य
6.	श्री धन्यकुमार जिनप्पा गुंडे	सदस्य

16.6 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, अधिनियम, 1992 की धारा 12 के अनुसार, अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करता है और मंत्रालय को प्रस्तुत करता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 13 के अनुसार, आयोग की वार्षिक रिपोर्ट इसमें उल्लिखित केन्द्र सरकार से संबंधित सिफारिशों पर कृत कार्रवाई ज्ञापन तथा इन सिफारिशों में से किसी सिफारिश को स्वीकार न किए जाने के कारण, यदि कोई हों, के साथ संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत की जानी होती है। विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से संबंधित सिफारिशें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा उन्हें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 9(3) के अनुसार आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाती हैं।

16.7 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने वर्ष 2020–21 तक की वार्षिक रिपोर्ट मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी है।

17
अध्याय

भारत के आयुक्त भाषाजात अल्पसंख्यक

17.1 संविधान के अनुच्छेद 350–ख के प्रावधानों के अनुसरण में आयुक्त भाषाजात अल्पसंख्यक (CLM) कार्यालय की स्थापना जुलाई, 1957 में की गई थी जो राज्य पुनर्गठन आयोग (SRC) की सिफारिश के फलस्वरूप संविधान (7वां संशोधन) अधिनियम, 1956 के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आया। अनुच्छेद 350–ख में संकल्पना है कि भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त भारत में संविधान के अंतर्गत भाषाई अल्पसंख्यकों को प्रदत्त रक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करेगा और इन मामलों पर ऐसे अंतराल पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करे जैसा कि राष्ट्रपति निर्देश दें और राष्ट्रपति ऐसी सभी रिपोर्टों को संसद के प्रत्येक सदन में रखवाएंगे और इन्हें संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों/प्रशासनों को भी भिजवाएंगे। आयुक्त भाषाजात अल्पसंख्यक का मुख्यालय आंचलिक कार्यालयों सहित दिल्ली में है। आयुक्त भाषाई अल्पसंख्यक, भाषाई अल्पसंख्यकों से संबंधित सांविधानिक और राष्ट्रीय तौर पर सहमति–प्राप्त रक्षोपायों के क्रियान्वयन से संबंधित सभी मामलों पर राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों से संपर्क करते हैं। आयुक्त भाषाई अल्पसंख्यक की 52वीं रिपोर्ट राज्य सभा और लोक सभा के पटल पर रखी गई थी।

17.2 भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक रक्षोपाय

भारत के संविधान के अंतर्गत, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को कतिपय रक्षोपाय प्रदान किए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 29 एवं 30 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करने और उनकी भिन्न–भिन्न भाषाओं, लिपियों अथवा संस्कृतियों को संरक्षित रखने के उनके अधिकार को मान्यता देने तथा उनकी पंसद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करने और संचालन करने का प्रावधान है। अनुच्छेद 347 में, किसी राज्य अथवा उसके किसी भाग की आबादी के काफी बड़े हिस्से द्वारा बोली जाने वाली किसी भाषा की, ऐसे किसी प्रयोजन के लिए जैसाकि राष्ट्रपति द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, मान्यता हेतु राष्ट्रपति के निदेश की व्यवस्था है। अनुच्छेद 350 संघ/राज्यों में प्रयुक्त किसी भी भाषा में संघ अथवा राज्य के किसी प्राधिकरण को शिकायतों के निवारण के लिए अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 350–क में भाषाई अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने की व्यवस्था है। अनुच्छेद 350–ख में संविधान के अंतर्गत भाषाई अल्पसंख्यक समूहों के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करने के लिए आयुक्त भाषाजात अल्पसंख्यक के रूप में विनिर्दिष्ट विशेष अधिकारी का प्रावधान किया गया है।

17.3 आयुक्त भाषाजात अल्पसंख्यक के कार्य एवं क्रियाकलाप

आयुक्त भाषाजात अल्पसंख्यक भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों से संबंधित उन सभी मामलों पर कार्रवाई करता है जो भाषाजात अल्पसंख्यकों–व्यक्तियों/समूहों/संघों/संगठनों द्वारा उसके ध्यान में लाए जाते

हैं। सुरक्षापायों की योजना का कार्यान्वयन की स्थिति का मौके पर ही आकलन करने के लिए व्यक्तिगत रूप से भाषाई अल्पसंख्यक क्षेत्रों और शैक्षणिक संस्थानों का दौरा करता है। इस संबंध में आयुक्त, जब आवश्यक हो, राज्यों के मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों और संघ राज्यक्षेत्रों के उपराज्यपालों के साथ चर्चा करता है। आयुक्त भाषाई अल्पसंख्यक प्रशासन के शीर्ष स्तरों अर्थात मुख्य सचिव, प्रधान सचिव (शिक्षा) और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षोपाय योजना के क्रियान्वयन की मॉनीटरिंग करने वाले विभागों के मुख्य सचिव, प्रधान सचिवों के साथ भी विचार विमर्श करता है।

18 अध्याय

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (NMDFC)

18.1 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (NMDFC) 30 सितम्बर, 1994 को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (अब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8) के अंतर्गत एक लाभ रहित कंपनी के रूप में निगमित की गई थी। NMDFC अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात् मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध, पारसी और जैन के बीच 'पिछड़े वर्गों' के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए स्व–रोज़गार एवं आय उत्पन्न करने वाले उद्यमों के लिए रियायती ऋण उपलब्ध कराता है।

18.2 NMDFC की रियायती ऋण योजनाएं यथा सावधि ऋण, शैक्षिक ऋण, लघु वित्त एवं विरासत योजना संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा नामित राज्य चैनेलाइज़िंग एजेंसियों (SCA) के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है।

18.3 NMDFC योजनाओं के अधीन सहायता का लाभ लेने के लिए परिवार की वार्षिक आय का पात्रता मानदंड ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 98,000 रुपए और शहरी क्षेत्रों के लिए 1,20,000/– रु. है। इसकी व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए NMDFC ने क्रेडिट लाइन–2 के तहत थोड़ी उच्च ब्याज दरों पर थोड़ी अधिक मात्रा में ऋण प्रदान करने के लिए 8.00 लाख रुपए तक की उच्चतर वार्षिक पारिवारिक आय का पात्रता मानदंड शुरू किया है।

18.4 सरकार ने 2015 में NMDFC की प्राधिकृत शेयर पूंजी 1500.00 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3000.00 करोड़ रु. कर दी है और केन्द्र सरकार, राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों और संस्थानों/व्यक्तियों के लिए शेयर धारण करने की पद्धति भी 65:26:9 से संशोधित करके क्रमशः 73:26:1 कर दी है। भारत सरकार ने 31.12.2021 तक NMDFC की केन्द्रीय इक्विटी में 1970.00 करोड़ रुपए का अंशदान दिया है जबकि राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों ने 385.41 करोड़ रुपए का अंशदान दिया है। वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान भारत सरकार ने 100.00 करोड़ रु. का अंशदान दिया है और राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों ने 0.50 करोड़ रु. का अंशदान दिया है। 31.12.2021 तक कुल प्रदत्त पूंजी 2355.42 करोड़ रु. है।

18.5 ऋण प्रदान करने की गतिविधि के अतिरिक्त, NMDFC अपने लक्षित समूह को संवर्धन योजनाओं जैसे कौशल से कुशलता योजना, महिला समृद्धि योजना के अधीन सहायता और विपणन सहायता प्रदान करता है। स्व–रोजगार/वैतनिक रोजगार के लिए लक्षित समूह के क्षमता निर्माण हेतु राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (SCA) के माध्यम से संवर्धन योजनाएं भी क्रियान्वित की जाती हैं।

18.6 उपलब्धियां:

- 1994 में इसकी शुरुआत से NMDFC ने 31.12.2021 तक 19.18 लाख से अधिक लाभार्थियों को 6781.92 करोड़ रुपए का ऋण संवितरित किया है।
- वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान इसकी वित्तपोषण योजनाओं के अंतर्गत 1.48 लाख लाभार्थियों को 650.41 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई।
- वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान (31.12.2021 की स्थिति के अनुसार) NMDFC ने अपनी वित्तपोषण योजनाओं के अधीन 0.83 लाख से अधिक लाभार्थियों को 357.19 करोड़ रु. तक ऋण उपलब्ध कराया।

18.7 NMDFC की योजनाएं एवं कार्यक्रम

क. NMDFC की ऋण योजनाएं

1. सावधि ऋण योजना

यह योजना वैयक्तिक लाभार्थियों के लिए है तथा राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है। सावधि ऋण योजना के अंतर्गत, वित्तपोषण हेतु 20.00 लाख रु. तक की लागत वाली परियोजनाओं (ऋण पद्धति–2 हेतु 30.00 लाख रुपए तक) पर विचार किया जाता है। NMDFC परियोजना लागत के 90% की सीमा तक ऋण उपलब्ध कराता है। परियोजना की शेष लागत का वहन SCA और लाभार्थी द्वारा किया जाता है। तथापि, लाभार्थी को परियोजना की लागत का न्यूनतम 5% अंशदान देना होता है। लाभार्थी से 6% प्रतिवर्ष की ब्याज दर प्रभारित की जाती है। ऋण पद्धति–2 के लिए, पुरूष लाभार्थियों को 8% प्रतिवर्ष तथा महिला लाभार्थियों को 6% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर 30.00 लाख रु. तक दिए जाते हैं।

सावधि ऋण योजनाओं के अंतर्गत वाणिज्यिक रूप से किसी भी व्यवहार्य एवं तकनीकी रूप से व्यावहारिक उद्यम के लिए सहायता उपलब्ध है, जिसे सुविधा के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है:

क) कृषि एवं संबद्ध

ख) तकनीकी ट्रेड

ग) लघु व्यवसाय

घ) कारीगर एवं पारम्परिक व्यवसाय, तथा

ङ) परिवहन एवं सेवा क्षेत्र

2. शैक्षणिक ऋण योजना

यह योजना भी वैयक्तिक लाभार्थियों के लिए है तथा राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है। NMDFC अल्पसंख्यकों से संबंधित पात्र व्यक्तियों के लिए रोजगार आधारित शिक्षा को सुगम बनाने के उद्देश्य से शैक्षणिक ऋण उपलब्ध कराता है। इस योजना के अंतर्गत, पांच

वर्षों से अनधिक अवधियों के 'तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों' के लिए 20.00 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध है। इसके अलावा, ऋण पद्धति 1 और 2 के अंतर्गत विदेश के पाठ्यक्रमों के लिए 30.00 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध है। इस प्रयोजनार्थ SCA को ऋण पद्धति–1 के अंतर्गत 1% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर निधि, लाभार्थियों को आगे 3% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर उधार देने के लिए उपलब्ध कराई जाती है। ऋण पद्धति–2 के अंतर्गत, SCA को 2% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर निधि, आगे लाभार्थियों को, पुरूष लाभार्थियों को 8% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर तथा महिला लाभार्थियों को 5% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर उधार पर देने के लिए उपलब्ध कराई जाती है। यह ऋण अधिकतम पांच वर्षों में देय है, ऋण अदायगी पाठ्यक्रम की समाप्ति के पश्चात् 06 महीने के अंदर या रोजगार प्राप्त होने के, जो भी पहले हो, शुरू होगी।

3. लघु वित्त–पोषण योजना

लघु वित्त–पोषण योजना के अंतर्गत, मुख्यतः SCA तथा NGO के माध्यम से स्व–सहायता समूहों (SHG) के सदस्यों को जिनका प्रमाणित ट्रेक रिकार्ड उपलब्ध है और SHG के नेटवर्क को लघु–ऋण दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत, स्व–सहायता समूह के प्रत्येक सदस्य को अधिकतम 1.00 लाख रु. तक के लघु–ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। गैर सरकारी संगठनों/SCA को 1% की ब्याज दर पर निधि दी जाती हैं जो ऋण पद्धति 1 के अंतर्गत आगे 7% प्रतिवर्ष से अनधिक की ब्याज दर पर स्व–सहायता समूहों को उधार देते हैं। ऋण–पद्धति–2 के अंतर्गत, स्व–सहायता समूह के प्रत्येक सदस्य को 1.50 लाख रु., पुरूष लाभार्थियों के लिए 10% प्रतिवर्ष से अनधिक की ब्याज दर पर तथा महिला लाभार्थियों के लिए 8% प्रतिवर्ष से अनधिक की ब्याज दर पर दिया जाता है। योजना के अंतर्गत अदायगी की अवधि अधिकतम 36 महीने हैं।

4. विरासत योजना

इस योजना का उद्देश्य उपकरण/कलपुर्जे/मशीनरी की कार्यशील पूंजी और निश्चित पूंजी की आवश्यकता, दोनों के संदर्भ में कारीगरों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करना है। इस योजना के तहत अधिकतम रु.10.00 लाख तक का ऋण लिया जा सकता है। हाल ही में इस योजना के तहत क्रेडिट लाइन–2 की शुरुआत की जा रही है, जिसमें 8.00 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले लाभार्थी भी ऋण प्राप्त कर सकते हैं। क्रेडिट लाइन–1 के तहत पुरुष कारीगरों के लिए 5% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर और महिला कारीगरों के लिए 1% की रियायत के साथ साधारण ब्याज पर 4% प्रति वर्ष की दर से ऋण उपलब्ध है। क्रेडिट लाइन–2 के तहत पुरुष कारीगरों के लिए 6% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर और महिला कारीगरों के लिए 1% की रियायत के साथ 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर ऋण उपलब्ध है।

ख. NMDFC की संवर्धनकारी योजनाएं

1. महिला समृद्धि योजना

यह स्व–सहायता समूहों में शामिल की जाने वाली महिलाओं को टेलरिंग, कटिंग और एम्ब्रायडरी महिला–अनुकूल व्यवसायों में कौशल विकास को लघु ऋण से जोड़ने की एक अनूठी योजना है। यह NMDFC की राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है। महिला समृद्धि

योजना के अंतर्गत, किसी उपयुक्त महिला अनुकूल शिल्प क्रियाकलाप में लगभग 20 महिलाओं के समूह को प्रशिक्षण दिया जाता है। यह समूह प्रशिक्षण के दौरान ही स्व–सहायता समूह बना दिया जाता है। प्रशिक्षण के उपरान्त, इस प्रकार गठित स्व–सहायता समूह के सदस्यों को लघु ऋण उपलब्ध कराया जाता है। प्रशिक्षण की अधिकतम अवधि छः माह है और प्रशिक्षण के अधिकतम खर्चे प्रति प्रशिक्षणार्थी 1500 रुपए प्रतिमाह हैं। प्रशिक्षण के दौरान, प्रशिक्षुओं को 1000 रुपए प्रतिमाह का वजीफा भी दिया जाता है। प्रशिक्षण लागत और वजीफे के खर्च की पूर्ति NMDFC द्वारा अनुदान के रूप में की जाती है। प्रशिक्षण के उपरान्त, स्व–सहायता समूह के प्रत्येक सदस्य को 7% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर अधिकतम 1.00 लाख रुपए के अध्यधीन आवश्यकता आधारित लघु ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

2. कौशल से कुशलता योजना

NMDFC की कौशल से कुशलता योजना का उद्देश्य लक्षित वैयक्तिक लाभार्थियों को कौशल प्रदान करना है जिससे कि उन्हें स्व/वैतनिक रोजगार मिल सके। यह योजना राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है जो अपने राज्यों में एनएसडीसी/संबंधित सैक्टर कौशल परिषद/राज्य कौशल मिशन/तकनीकी शिक्षा निदेशालय द्वारा पैनल में शामिल की गई एजेंसियों की मदद से आवश्यकता आधारित कौशल विकास प्रशिक्षण आयोजित करती हैं। एजेंसी वरीय रूप से एनएसडीसी स्मार्ट पोर्टल के माध्यम से प्रत्यायित होनी चाहिए।

3. विपणन सहायता योजना

विपणन सहायता योजना व्यक्तिगत शिल्पकारों, NMDFC के लाभार्थियों के साथ–साथ SHG के लिए है और SCA के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। विपणन को सवंर्धित करने और शिल्पकारों के उत्पादों की लाभकारी कीमतों पर बिक्री हेतु उनकी सहायता के उद्देश्य से, NMDFC चुनिन्दा स्थानों पर राज्य/जिला स्तर की प्रदर्शनियां आयोजित करने में SCA की मदद करता है। इन प्रदर्शनियों में, अल्पसंख्यक समुदायों के शिल्पकारों के हथकरघा/हस्तशिल्प उत्पादों को प्रदर्शित किया जाता तथा बेचा जाता है। प्रदर्शनी के दौरान, स्टॉल निःशुल्क प्रदान किए जाते हैं और योजना के अनुसार शिल्पकारों को TA/DA भी प्रदान किया जाता है। ऐसी प्रदर्शनियों से ''क्रेता–विक्रेता समागम'' का प्रयोजन भी सिद्ध होता है, जिसे घरेलू बाजार के साथ–साथ निर्यातों के लिए उत्पाद विकास और बाजार संर्वधन के लिए अत्यधिक उपयोगी समझा जाता है। NMDFC एससीए को प्रदर्शनियां आयोजित करने के लिए अनुदान प्रदान करता है।

ग. कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) कार्यक्रम

NMDFC शिक्षा, स्वास्थ्य परिचर्या और पोषाहार आदि के लिए सहायता प्रदान करते हुए अल्पसंख्यक समुदायों के समूहों के और आस–पास के क्षेत्रों में समुदायों के कल्याण हेतु CSR कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। 1.04.2021 से 31.12.2021 की अवधि के दौरान, NMDFC ने अपने CSR कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाएं स्वीकृत/कार्यान्वित की हैं। ऐसी कुछ परियोजनाएं है– सोफिया एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी, दिल्ली को आपातकालीन सेवाओं और मोबाइल क्लिनिक के लिए एम्बुलेंस प्रदान करना, शेरप स्काईडट्सल लिंग लाइब्रेरी एंड लर्निंग सेंटर, थिकसे (SSTL),

लद्दाख, संघ राज्य क्षेत्र को कंप्यूटर, प्रिंटर, UPS और वाई–फाई राउटर प्रदान करना, हुइशु गांव, उखरुल जिला, मणिपुर में स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन, राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान मुंबई में पोषण सामग्री का वितरण, कोविड–19 के लिए नबी करीम, दिल्ली में टीकाकरण शिविर, समाज के जरूरतमंद और अधिकारहीन ट्रांसजेंडर वर्ग को फ्लिपकार्ट डिलीवरी के लिए 20 स्कूटर प्रदान करना, केंद्रीय सैनिक बोर्ड के पैराप्लेजिक रिहैबिलिटेशन सेंटर (PRC), मोहाली को व्हीलचेयर, चिकित्सा उपकरण, एलईडी टीवी और डेजर्ट कूलर प्रदान करना, महावीर इंटरनेशनल, दिल्ली के माध्यम से मेगा नेत्र और स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन, मदरसा अरब रहमानिया, रुड़की, हरिद्वार (आकांक्षी जिला) को कंप्यूटर, कंप्यूटर टेबल, चेयर, प्रिंटर, यूपीएस, प्रिंटर सह फोटोकॉपियर और एसी प्रदान करना, ALIG एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी, जमशेदपुर, झारखंड को लैपटॉप, मारुति EECO वैन, सेल्फ स्टार्ट डीजल जेनरेटर –3 KVA, DLP वायरलेस प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर स्क्रीन और स्पीकर प्रदान करना। NMDFC ने कोविड–19 महामारी के विरूद्ध किए जा रहे प्रयासों में सहायतार्थ पीएम केयर फंड में 14.00 लाख रु. का योगदान भी किया।

माननीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, भारत सरकार, NMDFC के CSR कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान मुंबई में पोषण सामग्री का वितरण करते हुए।

श्री एस.के. देव वर्मन, आईएएस, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, NMDFC ने 21 सितंबर, 2021 को अपने CSR कार्यक्रम के तहत NMDFC द्वारा सोफिया एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी, दिल्ली को एम्बुलेंस की चाबी सौंपी और झंडी दिखाकर रवाना किया।

19 अध्याय

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) की राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को सहायता–अनुदान की योजना

19.1 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (NMDFC) अपनी योजनाओं का कार्यान्वयन मुख्यतः संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा नामित राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (SCA) के माध्यम से करता है। राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियां लाभार्थियों की पहचान, रियायती ऋणों का वितरण और लाभार्थियों से वसूली का कार्य करती हैं।

19.2 राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों की कमजोर अवसंरचना ऋण की प्रदानगी को बाधित करती है तथा मंत्रालय ने वर्ष 2007–08 के दौरान राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों की अवसंरचना को मजबूत बनाने के लिए सहायता–अनुदान की योजना शुरू की थी। इस योजना के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा NMDFC के माध्यम से एससीए को 100% सहायता प्रदान की जाती है। योजना में निर्धारित गतिविधियों के सेट के अंतर्गत योजना SCA द्वारा उनकी जरूरत के अनुसार निधि का उपयोग करने का अधिकार प्रदान करती है। इस योजना के लिए मंत्रालय द्वारा आबंटित और जारी की गई राशि का विवरण निम्नलिखित अनुसार है:

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	जारी की गई राशि
2014-15	2.00	2.00	2.00
2015-16	2.00	2.00	2.00
2016-17	2.00	2.00	1.27
2017-18	2.00	2.00	0.30
2018-19	2.00	2.00	2.00
2019-20	2.00	2.00	1.925
2020-21	2.00	0.965	0.965
2021-22 (31 दिसंबर, 2021 तक)	2.00	2.00	2.00

20
अध्याय

मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान

20.1 मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान (MAEF) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय है, जिसकी स्थापना शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के बीच शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए की गई है। मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान की स्थापना जुलाई, 1989 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत सोसायटी के रूप में की गई थी और यह पूर्णतया भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित है। माननीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री प्रतिष्ठान के पदेन अध्यक्ष हैं और संयुक्त सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान के प्रभारी) भी मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान के पदेन सदस्य हैं। मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान की सामान्य निकाय में 15 सदस्य होते हैं जिनमें छह सदस्य पदेन होते हैं और नौ सदस्यों को एमएईएफ के अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है। मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान का प्रबंधन इसकी शासी निकाय के सुपुर्द है।

20.2 संसाधन

मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की एक प्लान योजना है। प्रतिष्ठान को वित्तीय वर्ष 2017–18 तक अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार से 1362.00 करोड़ रु. की कुल समग्र निधि प्राप्त हुई है जिसे बैंकों में मियादी जमा में निवेश किया जाता है और समग्र निधि के निवेश से अर्जित ब्याज का उपयोग प्रतिष्ठान द्वारा अपनी शैक्षणिक योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु किया जाता है।

20.3 वर्ष 2018–19 के बाद से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को समग्र निधि के स्थान पर सहायता अनुदान देना शुरू किया है। मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा (31.12.2021 तक) 139.50 करोड़ रु. की राशि सहायता–अनुदान के रूप में जारी की गई हैं।

20.4 मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान की योजनाएं

मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है:

1. शैक्षणिक संस्थानों के अवसंरचना विकास हेतु गैर–सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान
2. अल्पसंख्यक समुदायों की मेधावी लड़कियों हेतु बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति
3. गरीब नवाज रोजगार योजना

1. एनजीओ को सहायता–अनुदान

इस योजना के अंतर्गत, मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान एनजीओ को निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है:–

- स्कूल भवनों का निर्माण/विस्तार,
- छात्रावास भवनों का निर्माण,
- बी.एड./डी.एड. कॉलेजों का निर्माण/विस्तार,
- तकनीकी संस्थानों/वीटीसी का निर्माण,
- स्कूलों/आईटीआई बीटीसी के लिए प्रयोगशाला उपकरणों, फर्नीचर आदि की खरीद।

इस योजना से छोटे संस्थानों को अपनी अवसंरचना का विस्तार करने में मदद मिली है जिसके परिणामस्वरूप लक्षित समूह के बीच शैक्षणिक क्रियाकलापों में समग्र रूप से सुधार हुआ है। यह एक ऐसी अनूठी योजना है जो राज्य सरकार अथवा अन्य बाहरी एजेंसी के हस्तक्षेप के बिना सीधे MAEF द्वारा कार्यान्वित की जाती है।

2. बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति:

मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान ने यह छात्रवृत्ति योजना 2003–04 में आरंभ की थी। अल्पसंख्यक समुदायों की मेधावी लड़कियों के लिए उनकी उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा अर्थात् कक्षा 11 और 12 हेतु राष्ट्रीय स्तर की यह पहली छात्रवृत्ति योजना थी। इस योजना से न केवल अल्पसंख्यक समुदायों की लड़कियों को अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहन मिला है अपितु इसके परिणामस्वरूप उनकी साक्षरता दर में समग्र सुधार भी हुआ है। अब MAEF कक्षा 9 और 10 में पढ़ने वाली अल्पसंख्यक समुदायों की बालिकाओं को भी छात्रवृत्ति दे रहा है। MAEF कक्षा 9 और 10 के लिए प्रति छात्रा 5000/– रु. और कक्षा 11 और 12 के लिए प्रति छात्रा 6000/– रु. की दर से छात्रवृत्ति प्रदान करता है। आवदेन आनलाइन प्रस्तुत किए जाते हैं और छात्रवृत्तियों की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जारी की जाती है। MAEF द्वारा विकसित एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से यह योजना कार्यान्वित की जा रही थी। अब चालू वर्ष अर्थात 2021–2022 से, सभी योजनाओं को एक मंच पर लाने और आवेदकों द्वारा विभिन्न योजनाओं के कई लाभ उठाने की संभावना को कम करने के उद्देश्य से योजना को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) पर शामिल किया गया है। MAEF को चालू वर्ष 2021–22 के दौरान छात्रवृत्ति योजना के तहत 2.82 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। चालू वर्ष के लिए प्राप्त आवेदनों की प्रक्रिया चल रही है।

3. गरीब नवाज रोजगार योजना:

मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान ने वर्ष 2017–18 से गरीब नवाज कौशल विकास प्रशिक्षण नामक योजना का शुभारंभ किया है। जिसे वर्ष 2019–20 से गरीब नवाज रोजगार योजना का नाम दिया

गया है। इस योजना के अधीन अल्पसंख्यक युवाओं को विभिन्न अल्प अवधि के रोजगार उन्मुखी कौशल विकास पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि उन्हें कौशल आधारित रोजगार के लिए समर्थ बनाया जा सके। यह योजना पैनलबद्ध कार्यक्रम कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों (PIA) के माध्यम से कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (MSD&E) के सामान्य मानदंडों के अनुसार कार्यान्वित की जा रही है।

4. वर्ष 2021–22 के दौरान एमएईएफ के अन्य क्रियाकलाप:

- **अलवर जिला (राजस्थान) में राष्ट्रीय संस्थान एवं हुनर हब की स्थापना** : मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान के अनुरोध पर राजस्थान सरकार ने MAEF को लागत आधार पर अलवर जिला के किशनगढ़बास में प्रस्तावित राष्ट्रीय संस्थान एवं हुनर हब स्थापित करने के लिए गांव कोहरापीपली, तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर में 15 एकड़ भूमि आबंटित की है। मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान ने उक्त परियोजना के लिए EDCIL से व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करवा ली है। इस प्रयोजनार्थ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

- मंत्रालय की उस्ताद योजना के तहत ''हुनर हाट'' का आयोजनः अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की उस्ताद योजना के तहत MAEF ने MANAS के माध्यम से ''हुनर हाट'' का आयोजन कर रहा है। वर्तमान वर्ष 2021–22 के दौरान, MAEF ने गोवा (26 मार्च से 4 अप्रैल, 2021), रामपुर (16 अक्तूबर 2021 से 25 अक्तूबर 2021), देहरादून (29 अक्तूबर 2021 से 7 नवम्बर 2021), वृंदावन (10 नवम्बर से 19 नवम्बर, 2021), लखनऊ (12 नवम्बर से 21 नवम्बर, 2021), सूरत (11 दिसंबर से 20 दिसंबर, 2021) तथा नई दिल्ली (23 दिसंबर से 31 दिसंबर, 2021) में ''हुनर हाट'' का सफलतापूर्वक आयोजन किया है।

21 अध्याय

वक़्फ प्रशासन, केंद्रीय वक़्फ परिषद एवं राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम

21.1 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय वक्फ अधिनियम, 1995, जो 1 जनवरी, 1996 से लागू हुआ, के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। इस अधिनियम में पिछली बार 2013 में संशोधन किए गए थे। यह अधिनियम जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के नए बने संघ राज्य क्षेत्रों सहित अब पूरे भारत में लागू है। तीस राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने इस अधिनियम के अंतर्गत 32 वक्फ बोर्डों का गठन कर लिया है (बिहार और उत्तर प्रदेश में दो वक्फ बोर्ड शिया और सुन्नी का एक–एक बोर्ड)।

21.2 वक्फ प्रभाग निम्नलिखित दो योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है:

I. कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियाती योजना:

यह योजना वक्फ बोर्डों की रिकॉर्ड कीपिंग को सरल बनाने, पारदर्शिता लाने और वक्फ बोर्डों के विभिन्न कार्यों/प्रक्रियाओं का कंप्यूटरीकरण करने में सहायता देने के लिए है। इस प्रयोजनार्थ एनआईसी द्वारा वक्फ मैनेजमेंट् सिस्टम ऑफ इंडिया (वामसी) नामक वेब–आधारित सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन तैयार की गई थी ताकि निम्नलिखित चार मॉड्यूलों को शामिल करते हुए केंद्रीकृत डाटाबेस रखा जा सके:

- वक्फ का पंजीकरण
- मुतवल्ली विवरणियों का आकलन
- संपत्तियों को पट्टे पर देने का विवरण
- मुकदमों की ट्रैकिंग

कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियाती योजना संशोधित की गई है और योजना में निम्नलिखित नए प्रावधान किए गए हैं:–

i. राज्य वक्फ बोर्ड को इसके पंजीकरण के समय किए गए वर्गीकरण के आधार पर वक्फ संपत्ति की जीआईएस मैपिंग करने के लिए वक्फ संपत्ति के निर्देशांक के संग्रह हेतु 550/– रु. प्रति वक्फ संपत्ति/औकाफ की दर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

ii. राज्य वक्फ बोर्डों को वामसी (WAMSI) मॉड्यूलों में आंकड़ों की प्रविष्टि का कार्य पूरा करने के लिए, आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से असिस्टेंट प्रोग्रामर के रूप में जनशक्ति की तैनाती के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

iii. गैर दाखिल खारिज संपत्तियों के म्यूटेशन की प्रक्रिया को पूरी करने के लिए म्यूटेशन सहायक की तैनाती के लिए राज्य वक्फ बोर्डों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

iv. राज्य वक्फ बोर्डों को स्टेशनरी तथा केंद्रीकृत संगणक सुविधा केंद्र (CCF) के द्वारा प्रयोग की जाने वाली आईसीटी उपभोगीय हेतु 6,000 से ज्यादा वक्फ संपत्तियों वाले राज्य वक्फ बोर्डों को 1.00 लाख रु. प्रत्येक तथा अन्य वक्फ बोर्डों को 75,000 रु. प्रत्येक को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रत्येक अंचल कार्यालय के लिए एक जोनल वक्फ अधिकारी और एक सर्वेक्षण सहायक उपलब्ध कराया जाएगा। एक क्षेत्रीय कार्यालय के लिए जहां वक्फ संपत्तियों की संख्या 10,000 से 25,000 के बीच है और दो क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए जहां यह संख्या 25,000 से अधिक है वहाँ जनशक्ति राज्य वक्फ बोर्ड को उपलब्ध कराई जाएगी। तथापि, जहां वक्फ संपत्तियों की संख्या 10,000 से कम है, वहां क्षेत्रीय कार्यालय के लिए कोई जनशक्ति उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।

v. राज्य वक्फ बोर्डों के बेहतर संचालन हेतु ई–ऑफिस सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर के लिए राज्य वक्फ बोर्डों को 3.00 लाख रु. की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

vi. राज्य वक्फ बोर्डों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा केंद्र के रख–रखाव के लिए 50 हजार रु. की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

vii. अपने कार्यों के कंप्यूटरीकरण में सर्वोत्तम पद्धतियां अपनाने वाले मुतवल्ली/प्रबंधन समिति को नकद पुरस्कार की व्यवस्था।

21.3 केंद्रीय वक्फ परिषद (CWC) योजना की कार्यान्वयन एजेंसी है। योजना के तहत केंद्रीय वक्फ परिषद को जारी की गई जीआईए जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वक्फ बोर्डों को भी वही प्रदान करती है।

21.4 31 दिसंबर, 2021 तक वामसी (WAMSI) ऑनलाइन पंजीकरण मॉड्यूल में 7,79,753 अचल वक्फ संपत्तियों की आंकड़ा प्रविष्टि की गई है। 31 दिसंबर, 2021 तक 2,24,297 वक्फ संपत्तियों की जीआईएस/जीपीएस मैपिंग पूरी कर ली गई है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए बजट आकलन 14 करोड़ रु. है। सीडब्ल्यूसी को 6.60 करोड़ रु. की राशि जारी कर दी गई है।

II. शहरी वक्फ संपत्ति विकास योजना

21.5 औकाफ मुस्लिम कानून द्वारा धर्मनिष्ठ, धार्मिक अथवा धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त प्रयोजन हेतु चल अथवा अचल संपत्तियों के स्थायी समर्पण हैं। इनके धार्मिक पहलुओं के अलावा, औकाफ सामाजिक कल्याण के उपकरण भी हैं क्योंकि इसके लाभ सामाजिक एवं शैक्षणिक क्षेत्रों में जरूरतमंदों को मिलते हैं। तथापि, देश में ज्यादातर औकाफ की सीमित एवं लगभग स्थिर आय है। परिणाम यह हुआ है कि आमतौर पर मुतवल्ली (औकाफ के प्रबंधक) वक्फ के आशय को अथवा उन प्रयोजनों को पर्याप्त रूप में पूरा करने में कठिनाई अनुभव करते हैं जिनके लिए ये औकाफ सृजित किए गए हैं। अधिकांश शहरी वक्फ भूमियों में विकास की बहुत संभावना है किन्तु मुतवल्ली और यहां तक कि वक्फ बोर्ड भी पर्याप्त संसाधन जुटाने अथवा इन भूमियों पर आधुनिक कार्यात्मक भवनों का निर्माण करने की स्थिति में नहीं हैं।

21.6 औकाफ तथा वक्फ बोर्डों की वित्तीय स्थिति को सुधारने और उन्हें अपने कल्याण संबंधी क्रियाकलापों का दायरा बढ़ाने में सक्षम बनाने के लिए यह योजना खाली वक्फ भूमि को अतिक्रमणकारियों से बचाने और

यह कल्याणकारी गतिविधियों को व्यापक बनाने के लिए आर्थिक रूप से व्यवहार्य परियोजनाओं को विकसित करने के लिए तैयार की गई है।

21.7 योजना के तहत, वक्फ भूमि पर आर्थिक रूप से व्यवहार्य भवनों, जैसे वाणिज्यिक परिसर, मैरिज हॉल, अस्पताल, कोल्ड स्टोरेज आदि के निर्माण के लिए देश के विभिन्न वक्फ बोर्डों और वक्फ संस्थानों को वक्फ बोर्डो (डब्ल्यूबी)/वक्फ संस्थानों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है।

21.8 संशोधित योजना में एक नया प्रावधान जोड़ा गया है। विशेष मामले के रूप में, वक्फ भूमि पर सामाजिक विकास परियोजनाओं के लिए मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन से राज्य वक्फ बोर्डो/वक्फ संस्थानों को सहायता अनुदान दिया जाएगा। केंद्रीय वक्फ परिषद योजना की कार्यान्वयन एजेंसी है।

वित्त–वर्ष 2021–22 के लिए बजट अनुमान 2.00 करोड़ रु. है। केंद्रीय वक्फ परिषद को 1.00 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है।

21.9 संशोधित वक्फ अधिनियम 1995 के तहत नियमों/विनियमों का निर्माण

वक्फ अधिनियम (संशोधित) 2013 के तहत अधीनस्थ विधि के निर्माण संबंधी कार्रवाई राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के पास लंबित है और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2013 की धारा 57 द्वारा संशोधित वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 109 के तहत नियम तैयार करने के लिए बार–बार संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ उठा रहा है। उपरोक्त पर कार्रवाई में तेजी लाने के लिए, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने संयुक्त सचिव (वक्फ) की अध्यक्षता में वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से समीक्षा बैठकों द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के साथ मामले को सख्ती से उठाया है। पिछली समीक्षा बैठक 25 अक्टूबर, 2021 को आयोजित की गई थी। संशोधित वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 109 के तहत नियम बनाने पर नवीनतम स्थिति इस प्रकार है:

i. 12 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अर्थात अंडमान निकोबार द्वीप समूह; बिहार; छत्तीसगढ़; हिमाचल प्रदेश; कर्नाटक; केरल; पंजाब; पुडुचेरी; तमिलनाडु; त्रिपुरा; उत्तराखंड और ओडिशा ने नियमों को अधिसूचित किया है;

ii. 17 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अर्थात आंध्र प्रदेश; असम; चंडीगढ़; दिल्ली; गुजरात; हरियाणा; लक्षद्वीप; मध्य प्रदेश; महाराष्ट्र; मणिपुर; मेघालय; तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव; झारखंड, राजस्थान और पश्चिम बंगाल ने नियमों का मसौदा तैयार किया है लेकिन उन्हें अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है।

21.10 केंद्रीय वक्फ परिषद

केंद्रीय वक्फ परिषद के लिए संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र केंद्रीय वक्फ परिषद अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत औकाफ का शीर्ष संगठन है, जिसे 1964 में वक्फ अधिनियम, 1954 के प्रावधानों के तहत वक्फ बोर्डो के कामकाज और देश में उचित प्रशासन से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार के सलाहकार निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। हालांकि, वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2013 के

अधिनियमन के बाद परिषद की भूमिका का विस्तार किया गया, जिसने इसे केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और राज्य वक्फ–बोर्ड को सलाह देने का अधिकार दिया है। इसके अलावा, वक्फ अधिनियम, 1995 यथा संशोधित की धारा 9(4) के तहत प्रावधान भी शामिल किए गए है, जिसमें परिषद को बोर्ड/राज्य सरकारों को बोर्ड के प्रदर्शन पर विशेष रूप से उनके वित्तीय प्रदर्शन, सर्वेक्षण, राजस्व रिकॉर्ड, वक्फ संपत्तियों के अतिक्रमण, वार्षिक और लेखा परीक्षा रिपोर्ट आदि पर परिषद को जानकारी प्रस्तुत करने के लिए निर्देश जारी करने की शक्तियां निहित हैं।

21.11 केंद्रीय वक्फ परिषद में अध्यक्ष जो वक्फ के प्रभारी केंद्रीय मंत्री होते हैं और 20 से अनधिक ऐसे अन्य सदस्य, जो अधिनियम में निर्धारित विभिन्न श्रेणियों से हैं, भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जा सकते हैं। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, श्री मुख्तार अब्बास नकवी, माननीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, केंद्रीय वक्फ परिषद के पदेन अध्यक्ष हैं। 12वीं परिषद का गठन वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 9 की उप–धारा (1) और (2) में दिए गए प्रावधान के अनुसार 4 फरवरी, 2019 को किया गया था। केंद्रीय वक्फ परिषद का कार्यालय सेंट्रल वक्फ भवन, पी–13 और 14, पुष्प विहार, सेक्टर–6, फैमिली कोर्ट के सामने, साकेत, नई दिल्ली–110017 में स्थित है।

21.12 केंद्रीय वक्फ परिषद के कार्य

i. राज्य वक्फ बोर्डों को उनके वित्तीय प्रदर्शन, सर्वेक्षण, वक्फ डीड्स के रखरखाव, राजस्व रिकॉर्ड, वक्फ संपत्तियों के अतिक्रमण, वार्षिक रिपोर्ट और ऑडिट रिपोर्ट पर निर्देश जारी करना।

ii. बोर्ड के कामकाज और औकाफ के उचित प्रशासन से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, राज्य वक्फ बोर्डों को सलाह देना।

iii. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में संशोधित वक्फ अधिनियम, 1995 के प्रावधानों के कार्यान्वयन की निगरानी करना।

iv. वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और पुनर्प्राप्ति और अतिक्रमण आदि को हटाने के लिए कानूनी सलाह देना।

v. शहरी वक्फ संपदा विकास योजना को लागू करना और विकास के लिए संभावित वक्फ भूमि की पहचान करना।

vi. गरीबों, विशेषकर महिलाओं के कौशल विकास और सशक्तीकरण के लिए शैक्षिक एवं महिला कल्याण योजना को लागू करना।

vii. कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियाती योजना को लागू करने के लिए।

viii. संशोधित वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 9(4) के तहत राज्य वक्फ बोर्डों के प्रदर्शन पर राज्य सरकारों/वक्फ बोर्डों से जानकारी प्राप्त करना।

ix. वक्फ से संबंधित मुद्दों को केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों जैसे एएसआई, रेलवे, राजस्व और वन आदि के साथ उठाना।

x. परिषद के हितों को बढ़ावा देने और वक्फ संस्थानों और बोर्ड को उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम शुरू करना।

21.13 परिषद अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और केंद्रीय वक्फ परिषद द्वारा प्रायोजित निम्नलिखित तीन योजनाओं को लागू कर रही है:

क. शहरी वक्फ संपत्ति विकास योजना (SWSVY)

ख. कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियाती योजना (QWBTS)

ग. शैक्षिक योजना (यूपीएससी के लिए कोचिंग और अन्य सेवा परीक्षाएं)

क. शहरी वक्फ संपत्ति विकास योजना (SWSVY):

इस योजना के तहत, वक्फ भूमि पर वाणिज्यिक परिसर, मैरिज हॉल, अस्पताल, कोल्ड स्टोरेज आदि जैसे आर्थिक रूप से व्यवहार्य भवनों के निर्माण के लिए वक्फ बोर्डों के माध्यम से एक परियोजना के लिए 2.00 करोड़ रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। एक वर्ष की मोहलत के साथ ऋण 16 अर्द्धवार्षिक किस्तों में चुकाने योग्य है।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान केंद्रीय वक्फ परिषद को योजना के तहत अनुदान की पहली किस्त के रूप में 100.00 लाख रुपये की राशि जारी की। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने योजना के संशोधित दिशा–निर्देश भी जारी किए हैं।

ऋणी वक्फ द्वारा चुकाई गई मूल राशि परिषद की परिक्रामी निधि बनाती है जिसका उपयोग फिर से उन्हीं नियमों और शर्तों पर 75.00 लाख रुपये तक की छोटी परियोजनाओं को ऋण देने के लिए किया जाता है।

लघु परियोजनाओं के तहत परिषद ने कुल 868.56 लाख रुपये का ऋण 101 लघु परियोजनाओं को दिया है, जिसमें से 70 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

ख. कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियाती योजना (QWBTS):

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने योजना के संशोधित दिशा–निर्देश जारी किए हैं और इसे सभी संबंधितों को परिचालित किया गया है। रिपोर्ट के तहत वर्ष के दौरान कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियाती योजना के तहत केंद्रीय वक्फ परिषद ने योजना में परिभाषित मॉड्यूल के अनुसार गतिविधियों का विस्तार करने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू की है। यह योजना तेजी से आगे बढ़ रही है, हालांकि कोविड–19 के अचानक फैलने के कारण, सुचारू प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिसे अब लगभग सभी राज्यों में फिर से शुरू कर दिया गया है और इसके निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने की उम्मीद है। जहां तक वक्फ संपत्तियों के जीआईएस/जीपीएस मानचित्रण कार्य का संबंध है, कोविड–19 के कारण थोड़ा रुकने के बाद भी कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और 31.12.2021 तक 2,23,828 वक्फ संपत्तियों को जीआईएस/जीपीएस के तहत कवर किया गया है।

रिपोर्ट की अवधि के दौरान, काम की गति में तेजी लाने के लिए, वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए जीपीएस मैपिंग कार्य की गति को तेज करने के लिए और अधिक एजेंसियों को पैनल में लाने के लिए

एक अनुरोध के लिए प्रस्ताव (आरएफपी) दस्तावेज जारी किया गया था। पैनल में शामिल एजेंसियों को काम सौंपने के लिए आवश्यक औपचारिकताएं अंतिम चरण में हैं।

ग. शैक्षिक योजनाएं

परिषद मुस्लिम अभ्यर्थियों के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों के परामर्श से केंद्र/राज्य सरकार द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग प्रदान करने के लिए एक कोचिंग कार्यक्रम चला रही है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, परिषद ने विभिन्न संस्थानों को निम्नलिखित विवरण के अनुसार राशि जारी की है:

क्र. सं.	संस्थान का नाम	स्वीकृत अनुदान की पहली किस्त (50%) के रूप में जारी की गई राशि
1.	भारतीय हज समिति, मुंबई	22,50,000.00 रुपये
2.	कैरियर योजना और परामर्श केंद्र (CCPC), कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर।	22,50,000.00 रुपये
3.	मेलविशरम मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी, मेलविशरम, वेल्लोर (तमिलनाडु)	22,50,000.00 रुपये
4.	सिविल चौरिटेबल ट्रस्ट, गांधी नगर, जम्मू	17,11,500.00 रुपये
5.	जेएचआरसीए, जामिया हमदर्द, नई दिल्ली	25,00,000.00 रुपये

समिति ने सिविल/न्यायिक/अन्य सरकारी सेवाओं के लिए चल रहे कोचिंग कार्यक्रम के लिए वर्ष 2020–21 के लिए आरसीए, एएमयू अलीगढ़ को अनुदान की पहली किस्त जारी करने की भी सिफारिश की है। समिति ने वर्ष 2020–21 के लिए भारतीय हज समिति, मुंबई को अनुदान की दूसरी किस्त जारी करने और अगले वर्ष 2021–22 के लिए प्रायोजन जारी रखने और सिविल चौरिटेबल ट्रस्ट, जम्मू को दूसरी किस्त जारी करने की भी सिफारिश की। समिति ने अखिल भारतीय शिक्षा उत्थान एवं कल्याण सोसायटी, पूर्णिया, बिहार के महासचिव से प्राप्त विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग प्रदान करने के नए प्रस्ताव के निरीक्षण की भी सिफारिश की।

समिति ने तीन Cs-Campaign, Counseling and Coaching के माध्यम से CBO/NGO के समर्थन में शिक्षा और सीखने के लिए संशोधित पात्रता मानदंड को भी मंजूरी दी। इस कार्यक्रम को ऑगमेंटिंग लर्निंग इनिशिएटिव्स (ALI) नाम दिया गया।

राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम लिमिटेड (NAWADCO)

21.14 पृष्ठभूमि: वक्फ बोर्डों की संपत्तियों के विकास की सुविधा के लिए, राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम लिमिटेड (NAWADCO) की स्थापना भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (MoMA) के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत काम करने के लिए की गई थी और 500 करोड़ रुपये की अधिकृत शेयर पूंजी के साथ कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत है। कंपनी का अधिदेश अल्पसंख्यक समुदाय के सामाजिक–आर्थिक

विकास और सशक्तीकरण के लिए राज्य वक्फ बोर्डों/वक्फ संस्थानों की आय बढ़ाने के लिए भारत भर में इच्छुक वक्फ संस्थानों/वक्फ बोर्डों की तैयारी पर वक्फ संपत्तियों का विकास करना है। निगम का शेयरधारिता पैटर्न इस प्रकार है:

क्र. सं.	संस्था का नाम	भुगतान अनुपात
1.	केंद्रीय वक्फ परिषद (CWC)	9%
2.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (NMDFC)	49%
3.	कॉरपोरेट निकाय सहित वक्फ संस्थान और आम जनता	42%
	कुल	**100%**

21.15 वक्फ संपत्तियों का विकास

नावाडको द्वारा वक्फ संपत्तियों की पहचान के बाद, कंपनी ने कंपनी के व्यापार मॉडल के अनुसार पारस्परिक रूप से सहमत नियमों और शर्तों पर संबंधित राज्य/राज्य वक्फ बोर्डों की तैयारी/उत्सुकता के आधार पर वाणिज्यिक विकास की दिशा में काम करने के लिए व्यवहार्य वक्फ संपत्तियों पर विचार किया है।

कंपनी ने पहले ही कर्नाटक स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ (KSBA) के साथ GPA(S) और समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और बेंगलुरु में वक्फ संपत्तियों के विकास के लिए काम कर रहे थे।

21.16 वर्तमान में, निम्नलिखित परियोजनाएं प्रगति पर हैं:–

i. वक्फ संपत्ति पर ''वाणिज्यिक व्यापार केंद्र (CBC)'' परियोजना नामतः ''हजरत अताउल्लाह शाह और नबी शाह, बड़ा मकान'' बेंगलुरु, कर्नाटक–अंडर डेवलपर (PPP-DBFOT) बिजनेस मॉडल में K.H. रोड पर स्थित है।

   प्रस्ताव के लिए अनुरोध (RFP) के स्थापन सहित ऑनलाइन निविदा प्रक्रिया के बाद भारत के इच्छुक रियल एस्टेट डेवलपर्स/कॉरपोरेट्स से अधिकतम तीस (30) वर्षों की लीज अवधि के लिए 11.03.2021 को सरकार के ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर जारी किया गया। जिसके लिए बोलिया आमंत्रित करने हेतु अंतिम तिथि 25.05.2021 है। कंपनी द्वारा 10.06.2021 को पूरी निविदा प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। उक्त परियोजना वर्तमान में निष्पादन कार्यों के प्रारंभ के लिए केएसबीए द्वारा एच1 बोलीदाता को लेटर ऑफ अवार्ड (LOA) जारी करने के चरण में है। प्रस्तावित विकास बी + जी + 4 संरचना के एक वाणिज्यिक व्यापार केंद्र (CBC) के लिए है, जिसे ''अत्याधुनिक भवन'' के रूप में परिकल्पित किया गया है, जिसमें सौर प्रणाली और वर्षा जल संचयन तकनीक आदि सहित स्मार्ट मैकेनिकल कार पार्किंग सुविधा, पर्यावरण के अनुकूल सुविधाएँ जैसे ऊर्जा कुशल उपाय, छत के प्रावधान शामिल हैं। KSBA को वार्षिक पट्टा किराया और सुरक्षा जमा के रूप में पर्याप्त राजस्व उत्पन्न करने के अलावा, यह अल्पसंख्यक समुदाय के सामाजिक–आर्थिक सशक्तीकरण के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा।

ii. कंपनी वक्फ संस्थान के साथ संयुक्त उद्यम में काम करने के लिए कर्नाटक स्थित वक्फ संस्थान से संबंधित परियोजना पर भी काम कर रही है। वाणिज्यिक परिसर के निर्माण के लिए उक्त परियोजना के कार्यान्वयन के संबंध में, कंपनी 24.12.2021 को पैनल हेतु अनुरोध (RFE) के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करके निर्माण निष्पादन एजेंसियों/निर्माण ठेकेदारों को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया में है जिसकी अंतिम तिथि 07.02.2021 है।

iii. NH-44, सीवाह, पानीपत, हरियाणा में वक्फ भूमि का वाणिज्यिक विकास। डेवलपर मॉडल के तहत उक्त भूमि के विकास के लिए (अधिमापन ''1.95 एकड़''), कंपनी ने हरियाणा वक्फ बोर्ड (HWB) द्वारा और उसके बीच निष्पादित ''समझौते'' के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रमुख समाचार पत्रों में एक विज्ञापन प्रकाशित किया था और नावाडको, इच्छुक डेवलपर्स/अंतिम उपयोगकर्ताओं से ''रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई)'' मांग रहे हैं। विज्ञापन के जवाब में, नवाडको को 5 (पांच) ईओआई प्राप्त हुए हैं। इसके बाद, 17.03.2021 को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में डेवलपर्स/फाइनेंसरों के साथ अलग–अलग बैठक आयोजित की गई। इच्छुक विकासकर्ता के अनुरोध के अनुसार, HWB के समन्वय से दिनांक 30.12.2021 को संयुक्त स्थल निरीक्षण किया गया था। आगे की गतिविधियां प्रक्रिया में हैं।

iv. वक्फ संस्थान की वक्फ संपत्ति पर ''कम्युनिटी हॉल/कमर्शियल कॉम्प्लेक्स'' परियोजना, जिसका नाम चेन्नई, तमिलनाडु में स्थित ''अशरफ अली शा और फराद अली शा ट्रस्ट'' है।

21.17 11.01.2021 को चेन्नई में कंपनी के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण की गई 6 (छह) वक्फ संपत्तियों में से, सीईओ, तमिलनाडु वक्फ बोर्ड (TNWB) ने 05.04.2021 को उक्त वक्फ संस्थान से नावाडको को एक प्रस्ताव भेजा था जो उनकी वक्फ संपत्ति के विकास के लिए इच्छुक है। उक्त वक्फ संस्थान से प्राप्त दस्तावेज विकासकर्ता मॉडल के तहत तौर–तरीकों को अंतिम रूप देने और आरएफपी जारी करने की प्रक्रिया में हैं। कंपनी सामाजिक–आर्थिक लाभ और अल्पसंख्यक समुदायों के सशक्तीकरण के लिए उपयुक्त व्यवसाय मॉडल के तहत देश भर में वक्फ संपत्तियों के विकास की दिशा में आवश्यक कदम उठाने के अपने प्रयास जारी रखेगी।

21.18 वित्तीय वर्ष 2020–2021 के लिए कंपनी की सांविधिक लेखा परीक्षा और अनुपूरक लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की कोई टिप्पणी के बिना समय पर आयोजित की गई थी। तदनुसार, कंपनी की बैलेंस शीट समय पर प्रकाशित की गई थी। वित्तीय वर्ष 2020–2021 के लिए कंपनी के खातों और वित्तीय वर्ष 2021–2022 के लिए वैधानिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति को शेयरधारकों द्वारा 27.12.2021 को आयोजित कंपनी की आठवीं (8वीं) वार्षिक आम बैठक (AGM) में अनुमोदित किया गया था।

21.19 कंपनी ने, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ अपेक्षित फॉर्म नियमित रूप से दाखिल किए हैं और कॉरपोरेट मानकों और सुशासन की पद्धतियों के अनुसार सभी प्रचलित पद्धतियों का पालन किया है।

22 अध्याय दरगाह ख्वाज़ा साहेब, अजमेर

दरगाह शरीफ, दरगाह ख्वाजा साहेब का प्रबंधन, अजमेर

22.1 दरगाह समिति का काम दरगाह ख्वाजा साहेब अधिनियम, 1955 के उपबंधों एवं इसकी उप विधि 1958 के अनुसार अवसंरचना के विकास के माध्यम से जनता को सेवा उपलब्ध कराना है। केंद्र सरकार ने राजपत्र अधिसूचना सं. का.आ. 2069 दिनांक 05.06.2018, का.आ. 535 दिनांक 04.02.2019 और का.आ. 2325ई दिनांक 14.06.2021 के तहत 5 वर्षों के लिए 9 सदस्यों वाली दरगाह समिति का गठन नीचे दिए गए विवरण के अनुसार किया है:–

i. श्री अमीन पठान

ii. श्री सैयद बाबर अशरफ

iii. श्री सपत खान

iv. श्री सैयद शाहिद हुसैन रिज़वी

v. श्री मो. फारूक आजम

vi. श्री जावेद मजीद पारेख

vii. श्री मुनावर खान

viii. श्री कासिम मलिक

ix. श्री वसीम राहतअली खान

22.2 श्री अमीन पठान को पिछले तीन वर्षों से दरगाह समिति का अध्यक्ष चुना गया है।

22.3 दरगाह समिति ज़ायरीन/जनता के लिए निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करती है:

i. पवित्र मकबरे पर प्रतिदिन फूल, चंदन और मोमबत्तियां चढ़ाना।

ii. हजरत ख्वाजा गरीब नवाज़ (आर.ए.) के वार्षिक उर्स का प्रबंधन।

iii. दरगाह शरीफ के अंदर मुहरम शरीफ (छोटा उर्स) का प्रबंधन एवं चिल्ला हजरत बाबा फरीद (आर.ए.) का आरंभ।

iv. प्रत्येक छठी शरीफ पर विशिष्ट फातिहा ख्वानी

v. खुल्फा–ए–रशीदीन और बुजुर्गान–ए–दीन का फातिहा

vi. रमजान के पवित्र महीने के दौरान विशेष सहरी/इफ्तार के प्रबंध और गरीबों के लिए रोजाना लंगर।

vii. धर्मशास्त्र का ज्ञान उपलब्ध कराते हुए दारूल उलूम ''मोइनिया उस्मानिया'' दरगाह शरीफ का संचालन।

viii. कक्षा XII तक CBSE से मान्यता प्राप्त ख्वाजा मॉडल स्कूल, (अंग्रेजी माध्यम का स्कूल) का संचालन। यह स्कूल सभी समुदायों के 1257 विद्यार्थियों को धर्मशास्त्र के आधारभूत ज्ञान और नैतिक शिक्षा के साथ–साथ शिक्षा उपलब्ध करा रहा है।

ix. गरीब नवाज़ कंप्यूटर केंद्र का प्रबंधन।

x. विधवाओं और जरूरतमंद व्यक्तियों को वज़ीफा।

xi. तीन अलग–अलग औषधालयों अर्थात् यूनानी, होम्योपैथिक और एलौपैथिक का रख–रखाव।

xii. चिकित्सा, इंजीनियरिंग एवं अन्य तकनीकी पाठ्यक्रमों के जरूरतमंद और मेधावी छात्रों को छात्रवृत्तियां।

xiii. ईदगाह का अनुरक्षण और विभिन्न मस्जिदों को वित्तीय सहायता।

xiv. लावारिस शवों को दफनाया जाना।

xv. दरगाह शरीफ कैंपस में फिल्टर किए गए पेयजल की व्यवस्था।

xvi. वजू के लिए पानी की व्यवस्था।

xvii. निर्बाध विद्युत आपूर्ति।

xviii. लगभग 179 कमरे के अतिथि गृह का रख–रखाव।

xix. दरगाह और अतिथि–गृह में रात–दिन स्वच्छता की व्यवस्था।

xx. मौसम के खतरों से 'जायरीन' के संरक्षण के लिए दरगाह परिसर में शामियाना की व्यवस्था करना। इसी तरह उर्स एवं आवधिक धार्मिक समागमों के समय पर भी शेल्टर की व्यवस्था की जाती है।

xxi. वंशागत स्टॉफ को हकूक (मानदेय) का भुगतान।

xxii. राष्ट्रीय अखंडता पर कार्यक्रम।

xxiii. संपत्तियों तथा स्थायी निधि का संरक्षण एवं आवधिक अनुरक्षण और विकास।

23 अध्याय सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

23.1 सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत सूचना के प्रसार की सुविधा के लिए, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने निम्नलिखित कार्य किए हैं:

(i) आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत आवेदनों को संबंधित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों/अपीलीय अधिकारियों/संबंधित सार्वजनिक अधिकारियों को हस्तांतरित करने और आरटीआई आवेदनों/अपील की प्राप्ति और निपटान के बारे में केंद्रीय सूचना आयोग को तिमाही रिटर्न जमा करने के लिए एक आरटीआई सेल कार्यरत है।

(ii) आरटीआई अधिनियम की धारा 4 (1) (बी) के तहत जैसाकि अपेक्षित है, मंत्रालय के कार्यकलापों के साथ–साथ इसके पदाधिकारियां आदि के विवरण मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट (www.minorityaffairs.gov.in) के आरटीआई पोर्टल पर रखा गया है।

(iii) सभी अवर सचिव/उपनिदेशक स्तर के अधिकारियों को उनके द्वारा निपटाए जा रहे विषय के संबंध में अधिनियम, 2005 की धारा 5 (1) के तहत केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के रूप में नामित किया गया है।

(iv) अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अनुसरण में संबंधित सीपीआईओ के पद से वरिष्ठ अधिकारी को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया है, जिनको सीपीआईओ के निर्णय से असंतुष्ट आवेदक अपील दायर कर सकता है।

(v) समय–समय पर सीपीआईओ और प्रथम अपीलीय अधिकारियों की सूची को जनता की जानकारी के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की वेबसाइट में अद्यतन और अपलोड किया जाता है।

(vi) आरटीआई आवेदन www.rtionline.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन दायर किया जा सकता है। आरटीआई आवेदक वेबसाइट के माध्यम से अपने प्रश्न के उत्तर सहित अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं।

23.2 वर्ष 2021–22 के दौरान, 31 दिसंबर, 2021 तक 692 आरटीआई आवेदन और 71 अपीलें मंत्रालय में प्राप्त हुई।

24 अध्याय

सरकारी लेखा–परीक्षा

24.1 वर्ष 2016–17 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में नीचे दिए गए विवरण के अनुसार निम्नलिखित लेखा परीक्षा पैरे शामिल किए गए हैं।

क्र. सं.	पैरा सं.	पैरा का शीर्षक	स्थिति
1	2017 की रिपोर्ट संख्या 44 का 2.4.4.4(ख) (अनुलग्नक 2.6 क्रम सं. 8)–संघ सरकार का लेखा (2016–17)	सरकारी सेवकों को ऋण एवं अग्रिम राशियां	महालेखा परीक्षक (केंद्रीय व्यय) से पुनरीक्षित टिप्पणियां प्रतीक्षित है।
2	2019 की रिपोर्ट संख्या 2 (वित्तीय लेखा–परीक्षा) का 2.7 (घ) (क्रम सं. 6, तालिका 2.6)	सरकारी निवेश का प्रतिशत दर्शाने में विसंगतियां	अंतिम कृत कार्रवाई नोट निगरानी प्रकोष्ठ, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग को भेज दिया गया है।

25 अध्याय

स्वच्छ भारत मिशन

25.1 मंत्रालय ने 2 अक्टूबर 2021 से 31 अक्टूबर, 2021 तक स्वच्छता पर एक विशेष अभियान का आयोजन किया। स्वच्छता अभियान 25 अक्टूबर, 2021 को सीजीओ कॉम्प्लेक्स के परिसर में और सुबह 8:00 बजे पं दीनदयाल अंत्योदय भवन के आसपास मनाया गया।

25.2 विशेष स्वच्छता अभियान के एक क्रिया बिंदु के रूप में, परिसर के अंदर और साथ ही साथ बाहर भी सफाई का आयोजन किया गया था। सभी मंत्रालय के अधिकारी/कर्मचारी इकट्ठे हुए और पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन के चारो ओर गये और परिसर को साफ–सुथरा बनाए। एकत्र किए गए सभी कचरे को अलग–अलग हरे और नीले कचरा ट्रॉली में बायोडिग्रेडेबल और गैर–बायोडिग्रेडेबल तरीके से अलग किया गया था। एकत्रित कचरे को परिसर के एक कोने में एक निश्चित कचरा घर (कूड़ा घर) में डाला गया था।

25.3 एक विशेष स्वच्छता अभियान के रूप में, एक दिन यानी 27 अक्टूबर 2021 को स्क्रैप निपटान के लिए निश्चित किया गया था। तदनुसार, विभिन्न टूटी मेज, कुर्सियां, रैक, कारतूस रिफिल आदि, जो विभिन्न कोनों/स्थानों में बिखरे हुए थे और स्क्रैप में बदल गए थे, उनको फाइलों/अभिलेखों की निराई द्वारा सृजित स्क्रैप के साथ एकत्र किए गए थे। कुल स्क्रैप का निपटान एक स्थानीय विक्रेता को कर दिया गया था।

25.4 मंत्रालय ने 16 दिसंबर, 2021 से 31 दिसंबर, 2021 के दौरान स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया। स्वच्छता पखवाड़ा 16 दिसंबर 2021 को पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स में मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति में शुरू हुआ। कोविड–19 महामारी के खतरे के कारण, स्वच्छता की गतिविधियाँ कार्यालय परिसर में और पंडित दीन दयाल अंत्योदय भवन के आसपास तक सीमित थीं।

25.5 मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित गतिविधियां की गईं:

1. स्वच्छता अभियान 20.12.2021 को सुबह 8:00 बजे शुरू किया गया था। सभी पदाधिकारियों ने अंत्योदय भवन का चक्कर लगाया और परिसर को साफ–सुथरा बनाया। कूड़ा इकट्ठा किया गया और कूड़ेदान में डाल दिया गया।
2. वास्तविक फाइलों को स्थानांतरित करके, जगह को खाली करके, क्षेत्र की सफाई करके बी4 विंग का पुनर्गठन किया गया।
3. कार्यालय परिसर को साफ–सुथरा बनाने के लिए सभी विंगों के लिए नियमित रूप से सफाई अभियान चलाया गया जैसे कि खिड़की के शीशे बदलना, दीवारों की पेंटिंग और भवन के फर्श की सफाई।

4. वास्तविक अभिलेखों के निर्माण की प्रक्रिया को समाप्त करते हुए ई–ऑफिस के माध्यम से वास्तविक फाइल से ई–फाइलों में बदल दिया गया।

5. सभी प्रभागों ने पुराने अभिलेखों और वास्तविक फाइलों के सभी वर्कस्टेशनों की सफाई के क्रम में फाइलों और दस्तावेजों की छंटाई के समय–सारणी के अनुसार कर लिया है।

6. परिसर को साफ करने के लिए एक अन्य गतिविधि के रूप में, लगभग 100 अलमारी और 10000 वास्तविक फाइलें आर.के. पुरम के रिकॉर्ड रूम में भेजी गईं। इस प्रयास के माध्यम से फाइलों/रैकों/अलमीरा और अन्य अवांछित वस्तुओं को हटाने से 708 वर्ग फुट की जगह खाली हो गया। सभी प्रभागों ने दैनिक आधार पर रिकॉर्ड रूम का दौरा किया है और उन फाइलों का विवरण उपलब्ध कराया है जिनकी पहचान की गई है।

7. इस उद्देश्य के लिए, एक एजेंसी मेसर्स आयरन माउंटेन को रिकॉर्ड बनाए रखने और फाइलों को बाहर निकालने के लिए किराए पर लिया गया था। छंटाई किए गए फाइलों की पहचान के लिए कुल 7059 फाइलों की समीक्षा की गई है। 7059 फाइलों में से 1979 फाइलों की छंटाई के लिए पहचान की गई है और उनमें से 943 फाइलों की अब तक छंटाई कर दी गई है।

25.6 25.10.2021 और 20.12.2021 को किए गए स्वच्छता अभियान की कुछ झलकियाँ इस प्रकार हैं: